संगठन

1.1 संक्षिप्त इतिहास

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975(अधिनियम सं0-43, 1975) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 5 कवाल नगरों, बुन्देलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमायूँ क्षेत्रों के लिये एक-एक जल संस्थान भी स्थापित किये गये जिनके द्वारा अपने अधीन क्षेत्रों में समस्त पेयजल/जलोत्सारण कार्यो का रख-रखाव किया जाता है। प्रदेश के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति/जलोत्सारण/नदियों के प्रदूषण नियंत्रण के निर्माण कार्य जल निगम द्वारा कराये जाते हैं। नागर क्षेत्रों में कार्यो को पूर्ण कराकर स्थानीय निकायों/जल संस्थानों को रखरखाव हेतु सौंप दिया जाता है। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का रखरखाव बुन्देलखण्ड, तथा जल संस्थान क्षेत्रों में जल संस्थानों द्वारा तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जल निगम द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम द्वारा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का रखरखाव जल निगम द्वारा किया जाता था, ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

1.2 जल निगम निदेशक मण्डल

अध्यक्ष के अतिरिक्त निगम के 10 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जल निगम के प्रबन्ध निदेशक जल सम्पूर्ति एवं सीवर व्यवस्था के विषय में अर्हता प्राप्त एवं इस विषय में पर्याप्त अनुभव तथा प्रशासकीय अनुभव वाले अभियन्ता होते हैं। वित्त निदेशक, जिन्हें वित्तीय तथा लेखा सम्बंधी विषयों का अनुभव होता है, को भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जल निगम निदेशक मण्डल में वर्तमान में निम्नलिखित सदस्य हैं -

स्थाई सदस्य	**पदेन सदस्य**
1. अध्यक्ष	4. सचिव, नगर विकास, उ०प्र०शासन
2. प्रबन्ध निदेशक	5. सचिव, वित्त, उ०प्र०शासन
3. वित्त निदेशक	6. सचिव, नियोजन, उ०प्र०शासन
	7. सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०शासन
	8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०
	9. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०

उपरोक्त के अतिरिक्त स्थानीय निकायों के 3 नियमित प्रधान, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के महानिदेशक को जल निगम की बैठकों में स्थाई आमंत्री के रूप में बुलाया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निगम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 के (अधिनियम संख्या–43 सन् 1975) धारा–4 एवं 6 में संशोधन करते हुए "राज्य में सामाजिक एवं लोक जीवन में विशष्ट ख्याति प्राप्त तीन से अधिक गैर सरकारी व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे" को उ०प्र० जल निगम में उपाध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया है तथा निदेशक मण्डल की बैठकों में भी भाग लिये जाने हेतु नामित हैं।

1.3 उद्देश्य एवं कार्यकलाप

1. जल सम्भरण के लिये तथा सीवर व्यवस्था और सीवेज के निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनको प्रोन्नत करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।
2. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के संबंध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।
3. राज्य सरकार के निर्देश पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए राज्य योजनायें तैयार करना ।
4. जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर 'टेरिफ', 'कर' तथा 'जल सम्भरण' के परिव्यय का पुनर्वलोकन करना और उन पर सलाह देना ।
5. अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करना तथा उसका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना।
6. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना ।
7. ऐसे सभी कृत्य करना जो यहां पर वर्णित नहीं हुए हैं और जो उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के प्रारम्भ होने के पूर्व, 'तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग' द्वारा किये जा रहे थे।
8. प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जिसमें धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनर्वलोकन करना।
9. राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं का वार्षिक मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना ।
10. जब राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए तो किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तो तथा निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।
11. राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के संबंध में अपेक्षित जन शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना ।
12. निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए व्यवहारिक गवेषणा कराना ।

13. उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 द्वारा या इसके अधीन निगम को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों को करना ।

14. ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जायें ।

निगम की समवाय ज्ञापिका(मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन) उसके समवाय नियम (आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन) तथा उनके अन्तर्गत निर्गत नियमावली, अनुदेश रेगुलेशन आदि यदि कोई हो ।

1.4 जल निगम की शक्ति

(1) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निगम को ऐसे कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो ।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :

1. राज्य में समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना;
2. किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अभिकरण में ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना जिसे वह आवश्यक समझे;
3. अपने कार्मिकों के लिए तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
4. जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना;
5. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को निगम द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना;
6. किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे;
7. प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना;
8. जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, प्रयोज्य जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिये टेरिफ का अनुमोदन करना;
9. धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;
10. स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था संबंधी योजना के लिये ऋण वितरण करना;

11. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का संपादन करने के लिये व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

1.5 जल निगम कार्यालयों का विवरण

वर्तमान में प्रदेश में जल निगम में 31 मण्डल एवं 133 खण्डीय कार्यालय कार्यरत हैं। इन कार्यालयों का संचालन लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी एवं आगरा, स्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता तथा लखनऊ स्थित मुख्य अभियन्ता (पी.पी.आर.डी.) द्वारा किया जाता है। मण्डलों/खण्डीय कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्षेत्र	**मण्डल**	**शाखा**
लखनऊ, इलाहाबाद, झाँसी, गोरखपुर, गाजियाबाद एवं आगरा	25(सिविल)	109(सिविल)
	06(वि०/यॉ)	24(वि०/यॉ)
योग	**31**	**133**

1.6 उत्तर प्रदेश जल निगम में स्वीकृत पदों की संख्या (दिनांक 1.1.2007 तक की स्थिति)

क्रमांक	**समूह**	**पदनाम**	**उत्तर प्रदेश जल निगम में उपलब्ध स्वीकृत पद**
1	**2**	**3**	**4**
1.		अध्यक्ष	1
2.		प्रबन्ध निदेशक	1
3.		वित्त निदेश्क (प्रतिनियुक्ति पर)	1
4.		मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)	4
5.		मुख्य अभियन्ता(स्तर-2)	08
6.		मुख्य अभियन्ता(निरीक्षण इकाई)	01
7.		अधीक्षण अभियन्ता(सिविल)	43
8.		अधीक्षण अभियन्ता(वि०/यॉ)	08
9.		मुख्य लेखाधिकारी	01
10.		मुख्य आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01
11.	**क**	विधि परामर्शदाता (प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर)	01
12.		मैनेजर(ग्राउण्ड वाटर)	01
13.		वरिष्ठ हाइड्रोजियोलाजिस्ट	01
14.		वरिष्ठ जियोफिजिस्ट	01
15.		वित्त विश्लेषक (प्रतिनियुक्ति पर)	01
16.		प्रबन्धक(ई०डी०पी०सेल)	01
17.		अधिशासी अभियन्ता(सिविल)	167
18.		अधिशासी अभियन्ता(वि०/यॉ)	32

19.		वरिष्ठ लेखाधिकारी	8
20.		सिस्टम एनालिस्ट	2
21.		शोध अधिकारी	2
		योग	**286**

1.	**ख**	सहायक अभियन्ता(सिविल)	650
2.		सहायक अभियन्ता(वि०/यॉ)	96
3.		लेखाधिकारी	12
4.		सहायक शोध अधिकारी	6
5.		सहायक हाइड्रोजियोलाजिस्ट	4
6.		सहायक जियोफिजिस्ट	1
		योग	**769**

1.	ग	जूनियर इंजीनियर(सिविल)	1769
2.		जूनियर इंजीनियर(वि०/यॉ)	341
3.	**तकनीकी(ग)**	जूनियर इंजीनियर(तकनीकी सिविल)	21
4.		जूनियर इंजीनियर(वि०/यॉ)	19
5.		संगणक	114
6.		मानचित्रक	374
7.		मुख्य मानचित्रक	53
8.		कन्सोल आपरेटर	2
		योग	**2693**

अतकनीकी

1.	**लेखा ग**	सहायक लेखाधिकारी	4
2.		लेखाकार	253
3.		**ग वर्ग लेखा योग**	**257**
1.	**क्षेत्र ग**	अनुभाग अधिकारी(क्षेत्र)	4
2.		प्रधान सहायक (मण्डल)	31
3.		वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक(क्षेत्र)	8
4.		मुख्य लिपिक (खण्ड)	142
5.		वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक(मण्डल)	66
6.		आलेखक प्रालेखक(मण्डल/खण्ड)	484
7.		नैत्यिक लिपिक(क्षेत्र)	806
8.	**ख**	वाहन चालक	376
9.		स्टोर कीपर(क्षेत्र)	38
10.		आशुलिपिक(ग्रेड-4)	142
11.		आशुलिपिक(ग्रेड-3)	31
12.		निजी सचिव(क्षेत्र)	5
		ग वर्ग क्षेत्र योग	2133
1.	**मुख्यालय ग**	निजी सचिव(ग्रेड-1)	5
2.		निजी सचिव(ग्रेड-2)	9
3.		वैयक्तिक सहायक	7
4.		आशुलिपिक ग्रेड	58
5.		वैयक्तिक सहायक (अतनीकी)	7

6.		अनुभाग अधिकारी	30
7.		सहायक विधि अधिकारी	1
8.		वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक	92
9.		कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक	77
10.		नैत्यिक लिपिक	101
11.		पुस्कालयाध्यक्ष	1
12.		वरिष्ठ लैब सहायक	6
13.		टेलीफोन आपरेटर	3
		ग वर्ग मुख्यालय योग	**397**

1.	घ	चतुर्थ श्रेणी	1452
		समूह क,ख,ग,घ योग	**7987**
1.		नियमित कर्मचारी (फील्ड)	7476

नागर जल सम्पूर्ति

1.1 प्रदेश में कुल 627 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 3.26 करोड़ है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 16.61 करोड़ का लगभग 20 प्रतिशत है। उक्त 627 नगरों में पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

निकाय	**नगरो में पाइप पेयजल आपूर्ति की 1.4.2007 की स्थिति (संख्या)**	
	कुल	**आच्छादित**
नगर निगम	12	12
नगर पालिका परिषद	194	194
नगर पंचायत	421	419
योग	**627**	**625**

1.2 वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण एवं मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल सम्पूर्ति की दरों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है:

नगरों का जनसंख्यावार वर्गीकरण	**पेयजल आपूर्ति का निर्धारित मानक (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)**	**नगरों की संख्या**	**सीवर व्यवस्था युक्त नगर**
1. 10 लाख से अधिक	150	5	5
2. 1 लाख से अधिक (तथा जिन नगरों में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है)	135	45	24
3. 20000 से 1 लाख तक	135/70	225	25
4. 20000 से कम	135/70	352	1
योग		**627**	**55**

(जिन नगरों में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है उनमें 135 ली0 प्रति व्यक्ति प्रति दिन।)

2. <u>नागर जलसम्पूर्ति सेक्टर के मुख्य कार्यक्रम</u>

2.1 <u>सामान्य जलसम्पूर्ति कार्यक्रम</u>

पूर्व में राज्य के नगरों में जलसम्पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों को शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता था। परन्तु 74 वें संविधान संशोधन के उपरान्त जलसम्पूर्ति योजनाओं हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

वर्ष 2000-2001 से राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सामान्य जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी राशि स्वीकृत नही की गई है यद्यपि नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना में इस योजना हेतु परिव्यय का आवंटन किया गया, परन्तु शासकीय बजट की अनुपलब्धता के कारण शासन द्वारा कोई भी स्वीकृति जारी न हो सकी। वर्ष 2005-06 में प्रदेश की वार्षिक योजना में सामान्य जलसम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 2680.00 लाख का प्राविधान किया गया तथा यह धनराशि वर्ष 2005-06 के बजट में स्वीकृत की गई थी। पेयजल योजनाओं हेतु वर्ष 2006-07 में

रु0 1000.00 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया था जिसके सापेक्ष रु0 1153.06 लाख की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2007-08 में रु0 2100.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है।

2.2. त्वरित नागर जल सम्पूर्ति कार्यक्रम

त्वरित नागर जल संपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों में पेयजल आपूर्ति प्रदान करने हेतु यह केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम है, जिसका वित्त पोषण 50:50 के अनुपात में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 30829.75 लाख की 390 योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी हैं। स्वीकृत योजनाओं का केन्द्रांश एवं राज्यांश प्रत्येक रू0 15414.88 लाख है जिसमें से भारत सरकार से दिनांक 01.04.2006 को मात्र रु0 424.69 लाख की धनराशि प्राप्त होना शेष थी। वर्ष 2006-07 में रु0 272.83 लाख अवमुक्त किये गये। वर्ष 2007-08 में रु0 26.65 लाख भारत सरकार से अवमुक्त हुआ है शेष रु0 125.21 लाख भारत सरकार स्तर से अवमुक्त किया जाना शेष है। भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सभी योजनाओं को मार्च 2008 तक पूर्ण किया जाना है। वर्ष 2006-07 में नियोजन अनुभाग द्वारा रु0 2000.00 लाख का परिव्यय आवंटित किया गया है जिससे योजनाओं के शेष कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। 390 योजनाओं में से अक्टूबर 2007 तक 296 योजनायें कमीशन की जा चुकी हैं तथा 296 कमीशन योजनाओं में से 217 योजनायें सम्बन्धित स्थानीय निकाय को हस्तगत कर दी गयीं हैं। 31 अन्य योजनाओं के हस्तान्तरण प्रपत्र सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेज दिये गये हैं। 114 योजनाओं की लेखाबन्दी की जा चुकी है तथा 63 योजनाओं की कम्पलीशन रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गयी है।

अब इस कार्यक्रम के स्थान पर भारत सरकार द्वारा दो नये कार्यक्रम क्रमशः जे.एन.एन.यू.आर.एम. तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी प्रारम्भ किये गये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण एवं प्रगति निम्न प्रकार हैः-

3. जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) एवं अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुधार हेतु जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) एवं अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेयजल, जलोत्सारण, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट), स्वच्छता, सड़क नेटवर्क, नगरीय परिवहन आदि जैसे अवस्थापना कार्यो तथा चयनित नगरों के पुराने क्षेत्रों के अन्दरूनी इलाकों के पुनर्विकास हेतु डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट(डी.पी.आर) तैयार की जायेगी । भारत सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मा. मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप का गठन किया गया है। योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का गठन किया गया है।

वित्त पोषण वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों में योजना की लागत की 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार के अनुदान एवं 20 प्रतिशत राज्य सरकार के अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी तथा शेष 30 प्रतिशत राशि सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा ऋण अथवा स्वयं के आन्तरिक श्रोतों से वहन करनी होगी। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में भारत सरकार के मार्ग दर्शन के अनुसार योजनाओं के प्राक्कलन विरचन, ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी विल्डिंग, कार्य क्षमता तथा इनोवेटिव एप्रोच हेतु 5 प्रतिशत एवं प्रशासनिक व्यय हेतु 5 प्रतिशत का प्राविधान है।

3.1 जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरवन रिन्यूवल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) कार्यक्रम

उक्त मिशन की अवधि वर्ष 2005-06 से 7 साल के लिए निर्धारित है। कार्यक्रम का उद्घाटन मा. प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा 3.11.05 को किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के 63 नगरों का चयन किया गया है जिसमें प्रदेश के 7 नगर यथा लखनऊ, इलाहाबाद, कानुपर, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं मथुरा नगरों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है। येाजनओं का विरचन नगर के सिटी डेवलपमेन्ट प्लान बनाकर उसके अनुसार किया जाना है ।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यकम के अन्तर्गत उ0प्र0 जल निगम द्वारा वर्ष 2007-08 में नगर के 2, लखनऊ नगर के 2, तथा कानपुर इलाहाबाद व आगरा नगर के एक-एक प्राकक्लन अर्थात कुल 6 प्राक्कलन भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा रू0 1118.12 करोड़ हेतु स्वीकृत किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त आगरा नगर की पेयजल तथा कानपुर नगर की जलोत्सारण योजनायें केन्द्र सरकार की आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त पुनः केन्द्र सरकार को माह नवम्बर-2007 में भेजी जा चुकी हैं जिनकी कुल अनुमानित लागत रू. 325.29 करोड़ है। इलाहाबाद जलोत्सारण योजना पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। उक्त स्वीकृति छः योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

3.2 अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में वे सभी नगर लिये जा सकते है जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. में नही लिये गये है वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मण्डल कार्यक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सूचित शीर्ष प्राथमिकता वाले 20 नगरों जिनमें प्रदेश के 6 नगर निगम यथा गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, एवं झांसी सम्मिलित है एवं एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 39 नगर निकायों तथा आदर्श जनपद येाजनान्तर्गत चिन्हित 38 जनपदों के समस्त नगरीय निकायों को आच्छादित किया जायेगा। उक्त 39 नगरो में से 10 नगर शीर्ष प्राथमिकता वाले 20 नगरों में सम्मिलित है। कार्यक्रम के वित्तीय पोषण के अनुसार योजना की लागत की 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार के अनुदान एवं 10 प्रतिशत राशि राज्य सकरकार के अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी तथा शेष 10 प्रतिशत राशि सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा ऋण अथवा स्वयं के आन्तरिक श्रोत्रों से अथवा विधायक/सांसद निधि से वहन करनी होगी। भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार योजनाओं के प्राक्कलन विरचन, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट, कार्यक्षमता तथा इनोवेटिव एप्रोच हेतु 5 प्रतिशत का प्राविधान है।

प्रदेश के शेष नगरों को कार्यक्रम के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति की प्रथम बैठक दिनांक 8.9.06 को सम्पन्न हुई जिसमें उ0प्र0 जल निगम के 6 प्राक्कलन (कुल अनुमानित लागत रू. 106.92 करोड़) स्वीकृत हुए तथा राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 10.11.06 के सम्पन्न हुई जिसमें उ0प्र0 जल निगम, के 6 प्राक्कलन(कुल अनुमानित लागत रू. 178.54 करोड़) स्वीकृत हुए थे । इसके अतिरिक्त उ0प्र0 जल निगम, द्वारा 19 प्राक्कलन (कुल अनुमानित लागत रू. 735.00 करोड़) विरचन के उपरान्त राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निदेशक स्थानीय निकाय को वर्ष 2006-07 में भेजे जा चुके है।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में ही उक्त के अतिरिक्त उ.प्र. जल निगम, द्वारा 31 प्राक्कलन (कुल अनुमानित लागत रू. 975.00 करोड़) और विरचित किये गये है जिन पर जल निगम, मुख्यालय द्वारा प्रेषित टिप्पणियों का निराकरण फील्ड द्वारा किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त भी अनेक प्राक्कलन विरचन की प्रक्रिया में हैं।

4. जिला योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार वर्ष 2003-04 में रु0 1119.65 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसके अंतर्गत राज्य के 16 जिलों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने का प्राविधान था तथा रु0 3022.99 लाख का परिव्यय वार्षिक योजना वर्ष 2004-05 में रखा गया था। नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में 50 जनपदों हेतु रु0 5966.68 लाख का परिव्यय आवंटित किया गया है। इसी के सापेक्ष वर्तमान वर्ष 2005-06 में रु0 5966.68 लाख का परिव्यय अनुमोदित है। वर्ष 2006-07 में भी नियोजन विभाग द्वारा रु0 5966.68 लाख का परिव्यय आवंटित किया गया है। वर्ष 2006-07 के बजट के सापेक्ष अब तक रु0 5966.68 लाख की स्वीकृति जारी हो चुकी है। विभाग को माह मार्च 2007 तक रु0 5966.68 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है जिसके सापेक्ष माह मार्च 2007 तक रु0 3460.20 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2007-08 में रु0 10000.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसमें रु0 9000.00 लाख अवमुक्त करने हेतु शासनादेश निर्गत हो चुका है।

5. मुख्य नगरों की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु बैराज परियोजनायें

आगरा, मथुरा, वृन्दावन एवं कानपुर नगरों में पेयजल के दीर्घकालीन समाधान हेतु बैराज निर्माण परियोजनाओं द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। मथुरा-वृन्दावन की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु यमुना नदी पर गोकुल के समीप गोकुल बैराज निर्मित किया गया है। गोकुल बैराज से मथुरा तथा वृन्दावन नगरों को 30 क्यूसेक पानी पेयजल हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त बैराज से ही आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति हेतु भी 115 क्यूसेक जल उपलब्ध कराया जायेगा । कानपुर नगर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु कानपुर में भी गंगा नदी पर लवकुश बैराज का निर्माण कराया गया है। बैराजों का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित किया गया है तथा पेयजल व्यवस्था सम्बंधी अन्य आवश्यक कार्य जल निगम द्वारा कराये जा रहे है।

गंगा नदी पर बैराज का निर्माण हो जाने पर कानपुर महानगर को 1600 एम0एल0डी0 जल उपलब्ध हो सकेगा। वित्तीय वर्ष 2005-06 में बैराज हेतु बजट प्राविधान रू0 52.30 करोड़ था जिसके सापेक्ष रु0 50.00 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। बैराज कम्पोनेन्ट की स्वीकृत लागत रु0 412.44 करोड़ है तथा कार्य पूर्ण करने की पुनरीक्षित तिथि जून 2006 प्रस्तावित थी। जलसम्पूर्ति कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत कानपुर नगर के पश्चिमी सर्विस डिस्ट्रिक्ट को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रु0 90.40 करोड़ की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है और योजना पर रू0 87.83 करोड़ की धनराशि अवमुक्त है। सिंचाई विभाग द्वारा शोधन हेतु कच्चा जल अप्रैल 2005 में उपलब्ध करा दिया गया था।

रॉ वॉटर पम्पिंग स्टेशन एवं जल शोधन संयंत्र को कमीशन कर पश्चिमी सर्विस डिस्ट्रिक्ट के जोन सं0 1,2,3 एवं 4 को स्वच्छ जल की आपूर्ति मई 2005 में आरंभ कर दी गई है। जोन सं0 5 से 11 तक के क्षेत्रों की जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है। योजनांतर्गत समग्र प्रगति 95 प्रतिशत है।

बैराज हेतु वर्ष 2006-07 के बजट में रु0 400.13 करोड़ प्राप्त हुआ है, जिसमें रु0 390.22 करोड़ कार्यो पर व्यय कर 95 प्रतिशत प्रगति की गई है। शेष धनराशि रु0 12.31 करोड़ प्राप्त होने पर इस योजना के सभी कार्य माह दिसम्बर 2007 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

2.6 ताज ट्रैपेजियम जोन कार्यक्रम :

- ' पब्लिक इण्टरेस्ट लिटिगेशन ' संख्या 426/92 एवं 1338/94 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ' ताज महल ' की पर्यावर्णीय सुरक्षा हेतु ' ताज महल ' के आस पास के 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'ताजट्रेपेज़ियम क्षेत्र' के रूप में चिहिन्त किया गया है। इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हेतु ताज ट्रेपेज़ियम क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अन्य के अतिरिक्त आगरा जलसम्पूर्ति योजना, आगरा जलोत्सारण

तथा ड्रेनेज योजनाएं और मथुरा एवं वृन्दावन नगरों की पेयजल योजना के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

- यह पर्यावरण विभाग द्वारा संचालित योजना है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 से आगरा नगर की जलसम्पूर्ति, जलोत्सारण तथा ड्रेनेज योजनाएं और मथुरा एवं वृन्दावन नगरों की पेयजल योजना कार्यान्वित की जा रही है।
- आगरा जलसम्पूर्ति योजना की भारत सरकार की सी.सी.ई.ए.से स्वीकृत लागत रू. 72.80 करो़ड़ है । प्राप्त धनराशि रू0 72.80 करोड़ के सापेक्ष रु0 67.02 करोड़ व्यय कर 457 किमी. वितरण प्रणाली, 10 नग उच्च जलाशय पूर्ण एवं 1 नग निर्माणाधीन, 11 नग भूमिगत जलाशय पूर्ण तथा 1 नग निर्माणाधीन, 61 पम्पिंग प्लान्ट तथा 10 पम्पिंग स्टेशनों का जीर्णोद्धार करा कर 72% भौतिक प्रगति की जा चुकी है। योजना की पुनरीक्षित लागत रू0 93.51 करोड़ है जिसे स्टेट ई.एफ.सी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि प्राप्त हो चुकी है परन्तु स्टेट ई.एफ.सी. द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत रु0 93.51 करोड़ के सापेक्ष रु0 20.71 करोड़ उपलब्ध कराया जाना शेष है।
- आगरा सीवरेज योजना पुनरीक्षित अनुमानित लागत रू0 52.49 करोड़ अभी भारत सरकार की सी.सी.ई.ए. से स्वीकृत नही है, परन्तु स्टेट ई.एफ.सी. से रू0 52.49 करोड़ की स्वीकृत है। पर्यावरण विभाग द्वारा रु0 23.00 करोड़ अवमुक्त किया गया है जिसे व्यय कर 89.43 किमी. सीवर लाइन तथा 4 सीवेज पम्पिंग स्टेशन के आंशिक कार्य कराकर 44% भौतिक प्रगति की गयी है ।
- आगरा ड्रेनेज योजना भारत सरकार से रू. 5.65 करोड़ की स्वीकृति है तथा पूर्ण धन अवमुक्त है । इस योजना के अन्तर्गत लगभग 12 किमी0 नाला निर्माण, एक पम्पिंग स्टेशन तथा 2.0 किमी पर भी राइजिंग मेन के कार्य करायें गये है। 2.0 किमी. लम्बी दूसरी राइजिंग मेन के सापेक्ष 1.20 कि.मी. राइजिंग मेन डाली जा चुकी है तथा शेष कार्य रेलवे विभाग की अनुमति न मिलने के कारण रूका हुआ है जिसकी अनुमति हेतु प्रयास किये जा रहा है।
- आगरा जल सम्पूर्ति रोड रि-इन्स्टेटमेंट अनु.लागत रु.14.11 करोड़, राज्य व्यय वित्त समिति से स्वीकृत है परंतु भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है। योजना पर अभी कोई धनावंटन नही हुआ है ।
- मथुरा एवं वृन्दावन पेयजल योजना तीन चरणों में है । प्रथम एंव द्वितीय चरण की योजना की भारत सरकार की सी.सी.ई.ए.से स्वीकृत लागत रू0 42.00 करोड़ है और यह पूर्ण धनराशि व्यय कर एक इन्टेक वैल, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, भूमिगत जलाशय, 17.8 किमी. फीडरमेन के कार्य कराकर 80% प्रगति की गयी है। योजना की प्रथम एंव द्वितीय चरण की पुनरीक्षित लागत रू0 15.42 करोड़ एवं रू0 40.67 करोड़ एवं संयुक्त लागत रू. 56.10 करोड है, जो स्टेट ई.एफ.सी. से स्वीकृत है परन्तु भारत सरकार की सी.सी.ई.ए.से अभी स्वीकृत नही है। मथुरा एवं वृन्दावन जलसम्पूर्ति के तृतीय चरण तथा रोड रीइनस्टेटमेन्ट की पुनरीक्षित लागत क्रमशः रु.18.70 करोड़ एवं रु0 8.50 करोड़ स्टेट ई.एफ.सी. से स्वीकृत है परन्तु भारत सरकार से अभी स्वीकृत नही है। तृतीय चरण के सापेक्ष रू0 6.00 करोड़ अवमुक्त हुआ है जिसे व्यय कर 119.40 किमी. पाइप लाइन बिछाई गयी है और 25% प्रगति की गयी।

7. विशेष पैकेज

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज, मध्याचंल पैकेज, पश्चिमाचंल पैकेज तथा पूर्वान्चल पैकेज के अन्तर्गत रू0 2429.31 लाख की 23 योजनायें वर्ष 2001-02 में स्वीकृत हुयी है जिसके सापेक्ष मार्च 2007 तक रू0 1854.79 लाख व्यय किया जा चुका है तथा 23 योजनाओं में से 20 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। चित्रकूट धाम कर्वी का कार्य प्रगति पर है। महोबा पेयजल योजना का कार्य राज्य सेक्टर के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

8. रिवाल्विंग फंड (पेयजल)

वर्ष 2000-01 से सामान्य योजना के अन्तर्गत बजट उपलब्ध न हो पाने के कारण शासन द्वारा रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था की गयी, जिसके अन्तर्गत नगर निकायों को पेयजल की सुविधाओं के विस्तार हेतु ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2000-01 से 2005-06 तक 245 पाइप्ड पेयजल योजनाओं हेतु रू0 20014.76 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें से अक्टूबर 2007 तक 160 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं तथा रू0 17897.92 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

9. लखनऊ पेयजल उन्नयन योजना

वर्ष 2001-02 में लखनऊ जलसम्पूर्ति में सुधार हेतु रू0 102.60 करोड़ की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी और अब तक कुल 33.90 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। योजना पर दिसम्बर 2006 तक रु0 33.68 करोड़ व्यय हो चुका है। भारत सरकार द्वारा अब यह कहा जा रहा है कि योजना का वित्त पोषण राज्य सरकार अपने बजट से करे।

10. नये हैण्डपम्प एवं हैण्डपम्प रीबोर

प्रदेश के 627 नगरों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों के रखरखाव का दायित्व स्थानीय निकाय का है परन्तु रीबोर की स्थिति में धन की उपलब्धता के आधार पर जल निगम द्वारा रीबोर की कार्यवाही की जाती है।

नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन भी धन की उपलब्धता के आधार पर जल निगम द्वारा किया जाता है। वर्ष 2005-06 में मा0 विधायकों द्वारा चयनित स्थलों पर 9000 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु रु0 18.90 करोड़ तथा मा0 सांसदों द्वारा चयनित स्थलों पर 780 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु रु0 1.64 करोड़ एवं 7634 हैण्डपम्प रीबोर हेतु रु0 14.54 करोड़, कुल रु0 35.08 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसके सापेक्ष अधिकांश हैण्डपम्प अधिष्ठापन एवं रीबोर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है वर्ष 2006-07 में मा0 सांसदों तथा मा0 विधायकों के कोटे के हैण्डपम्पों हेतु रु0 23.96 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसके सापेक्ष नई विधान सभा के गठन के पश्चात ऋण प्रस्ताव नये सिरे से प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। नवम्बर 2007 तक रू0 3.08 करोड़ के ऋण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसे शासन को प्रेषित कर पी0एल0ए0 से धनराशि आहरण की कार्यवाही की जा रही है। शेष ऋण प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष 2007-08 में मा0 सांसदों एवं विधायकों द्वारा चयनित स्थलों पर हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु आवश्यक धनराशि का प्राविधान किया जायेगा।

11. बाह्य सहायतित योजनायें

आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) योजना

केबिनट सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 14 मार्च 2005 को सम्पन्न बैठक में अपर गंगा कैनाल के पलरा-हेडवर्क्स (बुलन्दशहर जिले स्थित) से गंगा जल को आगरा नगर के दोनों वाटर वर्क्स (जीवनी मण्डी व सिकन्दरा स्थित) तक लाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। कच्चे जल का विभिन्न श्रोतों पर विचार करने के उपरान्त पलड़ा-हेडवर्क्स से आगरा तक 130 किलोमीटर लम्बी पाइप लाईन द्वारा 150 क्यूसेक (368 एम.एल.डी.) कच्चा जल लाये जाने का प्रस्ताव ही सबसे मितव्ययी एवं जल की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण उपयुक्त पाया गया। प्रस्तावित कार्यों की लागत रु. 1179.72 करोड़ आंकी गई है। योजना का वित्त पोषण उत्तर प्रदेश सरकार एवं जे.बी.आई.सी. द्वारा किया जाना है जो ई0एफ0सी0 द्वारा रू0 1076.00 करोड़ हेतु स्वीकृत की गई है जिसमें 85 प्रतिशत जे.बी.आई.सी. से तथा 15 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार द्वारा

प्रस्तावित है। इस योजना के लिये वर्ष 2007-08 में रु0 700.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। योजना के लिए कन्सलटेन्ट के चयन की कार्यवाही प्रगति पर है।

नागर जलोत्सारण

1.1 प्रदेश में कुल 627 नागर स्थानीय निकाय हैं जिनमें सीवरेज की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :-

निकाय	कुल नगर	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था है	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है
नगर निगम	12	12	-
नगर पालिका परिषद	194	39	155
नगर पंचायत	421	3	418
योग	**627**	**54**	**573**

उपरोक्त सभी 54 एवं एक इन्डस्ट्रियल नगर नोएडा इस प्रकार कुल 55 नगरों में ही आंशिक रुप से ही सीवर व्यवस्था उपलब्ध है परन्तु अधिकांश नगरों में विद्यमान सीवर प्रणाली चोक है तथा सफाई किया जाना आवश्यक है तथा कतिपय स्थानों पर पूर्व में बिछायी गयी सीवर लाइनें जो कम गहरायी पर हैं, के समानान्तर अधिक गहरायी पर सीवर लाइन बिछाने की आवश्यकता है।

1.2 गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 5 नगरों (फर्रूखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर व वाराणसी) में, यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत 8 नगरों (सहारनपुर, मुजफफरनगर, गाजियाबाद, नोयडा, वृन्दावन, मथुरा, आगरा व इटावा) में तथा गोमती एक्शन प्लान के अन्तर्गत 2 नगरों (लखनऊ एवं सुल्तानपुर) में सीवेज शोधन संयन्त्र की स्थापना करायी जा चुकी है।

1.3 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 39 नगरों में से अभी तक 14 नगर सीवर व्यवस्था से वंचित है।

2. <u>जलोत्सारण सामान्य कार्यक्रम</u>

गत कई वर्षो से नियोजन विभाग द्वारा परिव्यय आवंटित किये जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनो की कमी के कारण कोई धनराशि उपलब्ध/अवमुक्त नही की जा सकी है। इस वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना में जलोत्सारण हेतु रु0 12320.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा समस्त योजनायें विरचित कर शासन को भेजी जा चुकी हैं तथा सभी योजनाओं पर धन अवमुक्त हो चुका है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2007-08 हेतु रु0 15.00 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।

3. <u>ताज ट्रेपेजियम कार्यक्रम</u>- आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता आदि संबंधी पब्लिक इन्टेरेस्ट लिटिगेशन संख्या 426/92 एवं 1338/24 के सापेक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ताज ट्रेपेजियम योजना के अन्तर्गत आगरा नगर की जलोत्सारण तथा ड्रेनेज कार्यो हेतु वर्ष दिसम्बर 2005 तक अवमुक्त धनराशि निम्नानुसार हैं :

रु0 लाख में

क्रम	योजना	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	(03/07 तक) व्यय
1.	आगरा नगर सीवरेज	5249.74	2300.00	2300.00
2.	आगरा नगर ड्रेनेज	565.38	565.38	441.41

आगरा सीवरेज योजना के अन्तर्गत शेष धन न प्राप्त होने के कारण कार्य बाधित है। ताज निधि से अवशेष धन प्राप्त होने की संभावना कम है। इस कारण उपरोक्त कार्यो को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

नदी/झील प्रदूषण नियन्त्रण योजनायें

4.1 देश की प्रमुख नदियाँ म्यूनिस्पिल सीवेज, औद्योगिक कचरे तथा मृत जानवरों आदि से प्रदूषित हो रही है। फरवरी 1985 में माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से 'केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण' का गठन कर 'गंगा कार्य योजना' (गंगा एक्शन प्लान) के नाम से एक परियोजना प्रारम्भ की गयी ।

उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु नगर विकास विभाग नोडल विभाग है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम / नगर परिषद तथा जल संस्थान कार्यदायी संस्थायें हैं। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण को एक लाख आबादी से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में ही लागू किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगरों क्रमशः हरिद्वार-ऋषिकेश, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया। इन नगरों की कोर सेक्टर की प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम को सौंपा गया।

4.2 गंगा कार्य योजना(प्रथम चरण)

गंगा कार्य योजना का उद्देश्य गंगा नदी के जल प्रदूषण को कम कर उसे स्नान योग्य बनाना है। अर्थात बायोलोजिकल आक्सीजन डिमाण्ड (बी.ओ.डी.) की मात्रा 3.0 मि.ग्रा. प्रति लीटर (अधिकतम) तथा डिजाल्वड आक्सीजन (डी.ओ.) 5.0 मि.ग्रा. प्रति लीटर (न्यूनतम) तक सीमित करना है। प्रथम चरण में रू0 184.84 करोड़ की कुल 106 योजनाओं में से जल निगम द्वारा कोर सेक्टर की 56 योजनायें रू0 160.84 करोड़ की लागत से निर्मित की गई, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत धन उपलब्ध कराया गया। परंतु कानपुर नगर की चमड़ा उद्योग इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित जल के उपचार के लिए व्यय की गई कुल धनराशि रू0 23.44 करोड़ में से प्रदेश सरकार द्वारा 17.5 प्रतिशत, एवं चर्म उद्योगों द्वारा 17.5 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया गया।

वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना- प्रथम चरण में सम्मिलित प्रदेश के 5 नगरों में गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 646.30 एम.एल.डी. सीवेज में से 397.70 एम.एल.डी. सीवेज को डाइवर्ट कर 349.50 एम.एल.डी. क्षमता के 9 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट भी निर्मित किये गये। इनके अतिरिक्त इन नगरों में 27 पम्पिंग स्टेशन, 11 शवदाह गृह, 12 कम लागत के शौचालय तथा 8 नदी घाटों का विकास कार्य भी किया गया जिसका नगर वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

गंगा कार्य योजना(प्रथम चरण) में पूर्ण कराये गये कार्यः

क्रमसं0	नगर का नाम	पम्पिंग स्टेशन	ट्रीटमेंट प्लांट		शवदाह गृह	शौचालय	नदी घाटों विकास
			संख्या	क्षमता (एम.एल.डी.)			
1	फर्रुखाबाद-फतेहगढ़	2	1	2.70	4	2	1
2	कानपुर	8	3	171.00	2	4	-
3	इलाहाबाद	7	1	60.00	2	2	2
4	मिर्जापुर	2	1	14.00	3	1	1
5	वाराणसी	8	3	101.80	1	3	4
	योग	27	9	349.50	11	12	8

गंगा कार्य योजना- प्रथम चरण के कार्यों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	नगर का नाम	दूरी (कि.मी.)	डिजोल्वड आक्सीजन की मात्रा (मि.ग्रा./ली.) न्यूनतम सीमा 5.5		बी.ओ.डी. (मि.ग्रा./ली.) अधिकतम सीमा 3.0	
			वर्ष 1986	वर्ष 2006	वर्ष 1986	वर्ष 2006
1	कानपुर (अप स्ट्रीम)	530	7.2	6.2	7.2	6.8
	कानपुर (डाऊन स्ट्रीम)	548	6.7	3.9	8.6	6.8
2	इलाहाबाद (अप स्ट्रीम)	733	6.4	7.1	11.4	4.9
	इलाहाबाद (डाऊन स्ट्रीम)	743	6.6	8.5	15.5	3.2
3	वाराणसी (अप स्ट्रीम)	908	5.6	8.7	10.1	2.1
	वाराणसी (डाऊन स्ट्रीम)	916	5.9	8.6	10.6	2.3

टिप्पणी-

1- डिजोल्वड आक्सीजन की मात्रा कानपुर (डाउन स्ट्रीम) के अलावा निरंतर मानकों के अनुसार अर्थात 5.0 मिली0 ग्राम प्रति लीटर से अधिक है।

2- गंगा नदी के जल में बी.ओ.डी. की मात्रा में वर्ष 1986 स्तर से कमी आने से सुधार हुआ है।

3- कानपुर व इलाहाबाद नगरों में बी.ओ.डी. की मात्रा में वर्ष 1986 स्तर से कमी हुई परंतु अभी भी बी.ओ.डी. की मात्रा मानकों (3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर) से अधिक है। इसका कारण इन नगरों में उत्पन्न होने वाले सीवेज का आँशिक उपचार है। कानपुर नगर में 46 प्रतिशत (371 में से 171 एम. एल.डी.), इलाहाबाद नगर में 29 प्रतिशत (210 में से 60 एम.एल.डी.) तथा वाराणसी नगर में 33 प्रतिशत (309 में से 101.80 एम.एल.डी.)।

4- इन नगरों की निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण , गंगा कार्य योजना के क्रियान्वयन के बिना , गंगा नदी के जल की वर्तमान गुणता वर्ष 1986 के स्तर से भी खराब होती।

5- गंगा कार्य योजना- द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के उपरान्त गंगा नदी के जल की गुणता में और सुधार होगा।

4.3 गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) :

4.3.1 गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के संतोषजनक परिणामों को देखते हुए गंगा नदी तथा उसकी मुख्य सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 मे गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण के कार्य प्रस्तावित किये गये। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार वित्त पोषण की नीति निर्धारित की गई।

1. मार्च 1997 तक द्वितीय चरण की योजनाओं का व्यय भार केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया गया।
2. मार्च 1997 के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय चरण की योजनाओं का व्यय भार इन शर्तो पर वहन करने का निर्णय लिया गया कि
   (अ) दिनांक 1.4.97 के पश्चात योजनाओं हेतु आवश्यक भूमि की लागत प्रदेश सरकार वहन करेगी,
   (ब) कुल 14 प्रतिशत सेन्टेज में से दिनांक 1.4.97 के पश्चात केन्द्र सरकार केवल 8 प्रतिशत सेन्टेज ही वहन करेगी,
   (स) सी.सी.ई.ए. लागत से अधिक व्यय का वहन प्रदेश सरकार करेगी, तथा
   (द) केन्द्र सरकार सीधे कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटित करेगी।
3. दिनांक 01.04.2003 के पश्चात स्वीकृत सी.सी.ई.ए. के सापेक्ष स्वीकृत योजनाओं का वित्त पोषण भारत सरकार एवम् राज्य सरकार द्वारा 70:30 के अनुपात में किया जायेगा।
4. दिनांक 01.04.2003 से पूर्व स्वीकृत सी.सी.ई.ए. के सापेक्ष स्वीकृत योजनाओं का वित्त पोषण पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।

गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित 23 नगरों में, गंगा कार्य योजना-प्रथम चरण के 5 नगर भी सम्मिलित हैं। गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में पॉच घटक क्रमशः यमुना

कार्य योजना, गोमती कार्य योजना, गंगा-मेन स्टेंम, गंगा-सुप्रीम कोर्ट तथा गंगा सपोर्ट प्रोजेक्ट हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिये कुल रु. 948.41 करोड़ की सी.सी.ई.ए. लागत स्वीकृत की गयी है।

स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत के समक्ष नवम्बर, 2007 तक रु.1008.13 करोड़ की 222 योजनायें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें भारत सरकार का अंश रु. 742.95 करोड़ है। स्वीकृत 222 योजनाओं में से 189 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा माह दिसम्बर, 2007 के अन्त तक कुल रु. 571.33 करोड़ का व्यय किया जा चुका है, जिसमें केन्द्रांश पर व्यय रु. 434. 62 करोड़ तथा राज्यांश पर व्यय रु. 136.71 करोड़ है।

गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत यमुना कार्य योजना के 8 नगरों में कुल 402.25 एम. एल.डी. क्षमता के 16 सीवेज शोधन संयंत्र तथा गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत 43.70 एम.एल.डी. क्षमता के 2 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित कर क्रियाशील बनाये जा चुके है। गंगा कार्य योजना के विभिन्न घटकों का घटक वार सार निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

घटक	स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत	स्वीकृत योजनायें			12/2007 तक व्यय		भौतिक प्रगति %	पूर्ण योजनाओं की संख्या
		संख्या	लागत					
			कुल	केन्द्रांशं	कुल	केन्द्रांश		
1 यमुना	260.89	88	257.20	207.03	252.23	207.61	100%	88
2 यमुना (एक्सटेन्डेड फेज)	29.65	57	35.92	34.07	33.06	31.34	100%	57
3 यमुना (द्वितीय चरण)-आगरा	124.13	5	124.86	90.23	23.39	19.52	19%	1
4 गोमती- सुल्तानपुर-जौनपुर	10.72	12	12.37	5.36	10.77	5.33	83%	9
5 गोमती- लखनऊ -।	50.29	10	44.93	38.17	33.88	29.93	95%	8
6 गोमती- लखनऊ -।।	263.26	1	263.04	184.13	49.46	33.41	43%	0
7 गंगा- मेन स्टेम	101.04	22	118.44	77.20	72.71	43.99	63%	11
8 गंगा- सुप्रीम कोर्ट	18.14	10	12.74	9.25	6.56	4.88	94%	5
9 गंगा-सपोर्ट प्रोजेक्ट	90.29	16	115.92	81.61	88.06	57.79	80%	10
10 राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम	-	1	22.72	15.90	1.21	0.82	3%	-
योग	**948.41**	**222**	**1008.14**	**742.95**	**571.33**	**401.09**		**189**

4.3.5.1 यमुना कार्य योजना-प्रथम चरण व एक्सटेन्डेड चरण :

गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के विभिन्न घटकों का घटकवार विवरण निम्नानुसार हैः-

यमुना कार्य योजना, के प्रथम चरण की कुल रु. 260.89 करोड़ की स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत से 8 नगरों क्रमशः सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोयडा, आगरा, मथुरा, इटावा तथा वृन्दावन में कार्यान्वित की गयी है । यमुना कार्य योजना की योजनाओं के लिए जापान सराकर से बाह्य सहायता प्राप्त हो गई। इस घटक के अंतर्गत प्रस्तावित रु. 257.20 करोड़ लागत की समस्त 88 योजनायों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जिनके अन्तर्गत 402.25 एम.एल.डी. क्षमता के 16 सीवेज ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट्स के निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें क्रियाशील बनाया जा चुका हैं। इस घटक पर अद्यतन रु. 252.23 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

यमुना कार्य योजना हेतु बाह्य सहायता के अन्तर्गत 'एक्सचेन्ज रेटं में बचत के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा यमुना कार्य योजना के उपरोक्त 8 नगरों हेतु यमुना कार्य योजना (एक्सटेन्डेड फ़ेज) के अन्तर्गत रू. 29. 65 करोड़ के अतिरिक्त सी.सी.ई.ए. लागत स्वीकृत की गयी। एक्सटेन्डेड फ़ेज की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत

रु. 35.81 करोड़ की लागत की समस्त 57 योजनाओं के कार्य भी पूर्ण किये जा चुके हैं। इस घटक पर अद्यतन रु. 33.06 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

4.3.5.2 गोमती कार्य योजना :

गोमती कार्य योजना गोमती नदी के तट पर स्थित तीन नगर क्रमशः लखनऊ, जौनपुर तथा सुल्तानपुर में भारत सरकार से स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत रू. 61.01 करोड़ से कार्यान्वित की जा रही है।

जौनपुर तथा सुल्तानपुर नगरों में स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत रु. 10.72 करोड़ के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 21 योजनाओं में से 12 योजनाऐं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा 9 योजनायें स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं । स्वीकृत 12 योजनाओं में से 9 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष 3 योजनायें निर्माणाधीन हैं। इन नगरों में अद्यतन रु. 10.77 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

इन नगरों के कार्यों के स्कोप तथा लागत में वृद्धि होने के कारण अवशेष कार्यों को स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत में पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है । अतः अवशेष कार्यों के लिये पुनरीक्षित पी.एफ.आर. (प्रि. फिजिबिलिटी रिपोर्ट) अनुमानित लागत रु. 27.12 करोड़ भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी, जिस पर भारत सरकार में हुए विचार विमर्श के अनुसार गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत सुल्तानपुर व जौनपुर के अवशेष कार्यों हेतु 'कम्प्रेहेन्सिव डी.पी.आर.' अनुमानित लागत रु. 23.53 करोड़ (सुल्तानपुर- रु. 7.57 करोड़ तथा जौनपुर -रु. 15.59 करोड़) विरचित कर भारत सरकार को पुनः प्रेषित की गयी है जोकि भारत सरकार में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

लखनऊ नगर में गोमती नदी का प्रदूषण मुख्यतः नगर क्षेत्र के 26 नालों से होता है। लखनऊ नगर में गोमती प्रदूषण नियंत्रण योजनायें सर्व प्रथम वर्ष 1997 में यूनाइटेड किंगडम के ओ.डी.ए. फण्ड से प्राप्त सहायता से प्रारम्भ की गयी थी जिसके अंतर्गत रू0 6.10 करोड़ लागत की योजनायें पूर्ण की गयी, जिन पर रु. 5.92 करोड़ का व्यय किया गया । अवशेष उपलब्ध सी.सी.ई.ए. लागत लगभग रु. 43.00 करोड़ के अंतर्गत प्रथम चरण में नगर के पॉच नालों, नगरिया नाला, पाटा नाला, सरकटा नाला, वजीरगंज नाला तथा घसियारी मण्डी नाला के 108.00 एम.एल.डी. उत्प्रवाह का डाइवर्जन तथा दौलतगंज में 42.00 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण पूर्ण कर चालू किया जा चुका है । गोमती कार्य योजना- प्रथम चरण के अन्तर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 10 योजनाओं में से 8 के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 2 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं । लखनऊ- प्रथम चरण की योजनाओं पर अद्यतन रु. 33.88 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

नगर के शेष नालों के डाईवर्जन तथा सीवेज शोधन हेतु भारत सरकार गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत लखनऊ नगर हेतु रु. 263.04 करोड़ लागत की योजना स्वीकृत की गयी है जिसके अन्तर्गत कुल 345.00 एम.एल.डी. शोधन क्षमता के दो नये सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जाने हैं तथा दौलतगंज में निर्मित 42.00 एम.एल.डी. सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता में 5.00 एम.एल.डी. की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है । योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न कार्य प्रगति पर है। लखनऊ- द्वितीय चरण की योजनाओं पर अद्यतन रु. 49.46 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

4.3.5.3 गंगा कार्य योजना - मेन स्टेम :

इस घटक के अन्तर्गत गंगा कार्य योजना- प्रथम चरण में सम्मिलित 4 नगरों नामतः फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, मिर्जापुर(विन्ध्याचल), इलाहाबाद तथा वाराणसी के अतिरिक्त गंगा नदी के तट पर स्थित 4 अन्य नगरों क्रमशः गढ़मुक्तेश्वर, मुगलसराय, सैदपुर तथा गाजीपुर अर्थात कुल 8 नगरों को सम्मिलित किया गया है। इन नगरों हेतु भारत सरकार द्वारा रु. 101.04 करोड़ की सी.सी.ई.ए. लागत स्वीकृत की गयी है।

इस घटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 20 योजनायें तथा राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाये स्वीकृत की जा चुकी है, जिनकी कुल लागत रु. 118.44 करोड़ है। स्वीकृत कुल 22 योजनाओं में से 11 योजनाओं

के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 11 योजनायें निर्माणाधीन हैं। इस घटक पर अद्यतन रु. 72.71 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

4.3.5.4 गंगा कार्य योजना- सुप्रीम कोर्ट :

गंगा कार्य योजना-सुप्रीम कोर्ट के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गंगा नदी के तट पर स्थित 3 नगर बिजनौर, अनूपशहर तथा चुनार में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत रु. 18. 14 करोड़ से कार्यान्वित की जा रही हैं । इस घटक के अन्तर्गत रु. 12.74 करोड़ लागत की 10 योजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं । स्वीकृत 10 योजनाओं में से 5 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 5 योजनायें निर्माणाधीन हैं । इस घटक पर अद्यतन रु. 6.56 करोड़ का व्यय किया जा चुका है ।

4.3.5.5 गंगा एक्शन प्लान सपोर्ट प्रोजेक्ट, कानपुर :

कानपुर नगर में प्रदूषण नियंत्रण के कार्य गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण में नीदरलैंड सरकार की सहायता से कराये गये थे । गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत केवल 171 एम.एल.डी. सीवेज का ही उपचार किया गया, जबकि कानपुर नगर में कुल 371 एम.एल.डी. सीवेज उत्पन्न होता है। अभी भी लगभग 200 एम.एल.डी. सीवेज गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है । इस 200 एम.एल.डी. सीवेज को गंगा नदी में प्रवाहित होने से रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रण के शेष कार्य गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) में प्रस्तावित किये गये हैं जिसके लिये प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा नीदरलैण्ड सरकार से सहायता प्राप्त की गयी थी,जो कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2004 से समाप्त करते हुए योजना को शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है । इस परियोजना के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 17 योजनाओं में से 14 योजनायें भारत सरकार तथा 2 योजनायें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। स्वीकृत कुल 16 योजनाओं में से 10 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 6 योजनायें निर्माणाधीन हैं । 200 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का प्राक्कलन अनुमोदन हेतु भारत सरकार में विचाराधीन है। इस परियोजना पर अद्यतन रु. 88.06 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

4.3.5.6 यमुना कार्य योजना-द्वितीय चरण (आगरा) :

यमुना कार्य योजना- प्रथम चरण के अन्तर्गत आगरा नगर में प्रस्तावित कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जिसके अन्तर्गत आगरा नगर में 90.25 एम.एल.डी. क्षमता के 3 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये गये हैं । भारत सरकार द्वारा यमुना कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत आगरा नगर हेतु रु. 124.13 करोड़ की सी.सी.ई.ए. लागत स्वीकृत की गयी है । जिसमें नगर के 'नार्थ जोन' व 'वेस्टर्न जोन' के नालों के डाईवर्जन, सीवेज शोधन संयंत्रों तथा भूमि अधिग्रहण हेतु रु. 85.63 करोड़, जन सहभागिता व जन जागरूकता हेतु रु. 25.50 करोड़ तथा यमुना कार्य योजना (तृतीय चरण) के नगरों के प्राक्कलन विरचन हेतु रु. 13.00 करोड़ का प्राविधान है ।

यमुना कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत आगरा नगर में प्रस्तावित कार्यों के लिये आवश्यक भूमि अधिग्रहण हेतु डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु. 8.10 करोड़ (राज्य सरकार के अंश सहित कुल लागत रु. 8.14 करोड़) माह नवम्बर, 2005 में तथा नगर के नार्थ जोन व वेस्टर्न जोन के सीवरेज कार्यो हेतु डी.पी. आर. अनुमानित लागत रु. 84.39 करोड़ (राज्य सरकार के अंश सहित कुल लागत रु. 94.13 करोड) माह मार्च, 2006 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो हेतु निविदा आमंत्रित्र किये जाने तथा भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है।

यमुना कार्य योजना (द्वितीय चरण) हेतु स्वीकृत सी.सी.ई.ए. लागत रु. 124.13 करोड़ में यमुना कार्य योजना- प्रथम चरण में सम्मिलित 8 नगरों के अवशेष कार्यों के प्राक्कलन विरचन हेतु रु. 13.00 करोड़ का

प्राविधान रखा गया है । इन अवशेष कार्यों को यमुना कार्य योजना- तृतीय चरण के अन्तर्गत जापान सरकार की संस्था जे.बी.आई.सी. (जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल को-ओपरेशन) से वित्तीय सहायता प्राप्त कर कराया जाना प्रस्तावित है । भारत सरकार द्वारा लिये गये निणर्य के अनुसार यमुना कार्य योजना तृतीय चरण के नगरों में "रिफोर्म एक्शन प्लान" तथा योजनाओं के विचचन हेतु कन्सलटैन्ट्स की नियुक्ति की जानी है, जिसका दायित्व उत्तर प्रदेश हेतु जल निगम को सौंपा गया है। जल निगम द्वारा उपरोक्त कार्यो हेतु कन्सलटैन्ट की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्ति प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट की सहायता से किया जा चुका है तथा कन्सलटैन्ट द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

यमुना कार्य योजना-द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरों की स्थानीय निकायों की कैपेसिटी बिल्डिंग तथा जन सहभागिता व जन जागरूकता हेतु यमुना कार्य योजना द्वितीय चरण की सी.सी.ई.ए. लागत में रु. 25.50 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसके समक्ष भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में रु. 22.59 करोड़ लागत की योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इस प्रकार इस घटक के अन्तर्गत कुल 5 योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं जिनमें से एक योजना पूर्ण हो चुकी है तथा शेष 4 योजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इन योजनाओं पर अद्यतन रु. 23.39 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

4.3.5.8 महानगरों में जापान सरकार (जे.बी.आई.सी.) सहायतित कार्यक्रम :

लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद एवम् वाराणसी नगरों में भारत सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त अवशेष कार्यों के लिये तथा वर्ष 2030 की आवश्यकता के लिये भारत सरकार द्वारा जापान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है । इसके अन्तर्गत जापान सरकार की संस्था जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) की स्टडी टीम द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम, सम्बन्धित जल संस्थान व सम्बन्धित नगर निगमों की सहायता से 4 महानगरों हेतु वर्ष 2015 व वर्ष 2030 की आवश्यकताओं के लिये 'सीवरेज मास्टर प्लान' तैयार किये गये हैं तथा इन महानगरों के 'सीवरेज मास्टर प्लान' के आधार पर वर्ष 2015 की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता वाले कार्यों के लिये 'फिजिबिलिटी रिपोर्ट' भी तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है । 'फिजिबिलिटी रिपोर्ट' पर भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 के प्राथमिकता वाले कार्यों के लिये जापान सरकार की अन्य संस्था 'जापान बैंक फोर इन्टरनेशनल कोआपरेशन' (जे.बी.आई.सी.) से वित्तीय सहायता प्राप्त की जानी प्रस्तावित है ।

जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा तैयार की गयी 'फिजिबिलिटी रिपोर्ट' के आधार पर 4 महानगरों हेतु निम्नानुसार लागत का अनुमान दिया गया है ।

महानगर का नाम	वर्ष 2015 की आवश्यकता हेतु (रु. करोड़ में)	वर्ष 2030 की आवश्यकता हेतु (रु. करोड़ में)
लखनऊ	372.48	3484.70
इलाहाबाद	304.32	1056.00
कानपुर	422.28	2729.50
वाराणसी	483.18	1347.30
योग	**1582.26**	**8617.50**

उपरोक्त 4 महानगरों में से वाराणसी नगर के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार द्वारा वाराणसी नगर की 'फिजिबिलिटी रिपोर्ट' का अनुमोदन किया जा चुका है तथा वाराणसी नगर में प्रस्तावित कार्यो के लिये बाह्य सहायता के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मार्च, 2005 में जे.बी.आई.सी. के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके है । समझौते के अनुसार वाराणसी नगर में प्रस्तावित सीवरेज कार्यों का विस्तृत डी.पी. आर. अनुमानित लागत रु. 405.00 करोड़ जल निगम द्वारा विरचित किये गये हैं, जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किये जा चुके हैं। अन्य तीन महानगरों कानुपर, इलाहाबाद व

लखनऊ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट का अनुमोदन भारत सरकार से अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर में प्रस्तावित कार्यो हेतु डी.पी.आर भारत सरकार के निर्देशानुसार विरचित कर प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जा चुके है।

4.4 झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम :

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2001 को हुई राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार झीलों के प्रदूषण नियंत्रण को भी नदियों के समान प्राथमिकता दी जानी है । भारत सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के क्रम में प्रदेश में निम्नलिखित झीलों/तालों की योजनायें प्रस्तावित की गयी है।

1. रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर) 2. मानसीगंगा ताल (गोवर्धन नगर-जनपद मथुरा)
2. लक्ष्मी ताल (झांसी नगर) 4. मदनसागर ताल (महोबा नगर)

उपरोक्त तालों के निम्नलिखित लागत के विस्तृत प्राक्कलन विरचित कर शासन के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृत हेतु अग्रसारित किये जा चुके है। गोवर्धन नगर (जनपद-मथुरा) की मानसी गंगा ताल के प्रदूषण नियंत्रण कार्यो को उपरोक्त 4 तालों में प्राथकिमता दी गयी है, जिसके प्राक्कलन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मार्च 2007 में दी जा चुकी है जिसकी अनुमानित लागत रु. 22.72 करोड़ है। इस योजना का कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है जिस पर अद्यतन रु. 1.21 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

1.	रामगढ़ ताल	- गोरखपुर	- रु. 60.97 करोड़
2.	लक्ष्मी ताल	- झांसी	- रु. 32.09 करोड़
3.	मानसी गंगा ताल	- गोवर्धन (मथुरा)	- रु. 22.71 करोड़
4.	मदनसागर ताल	- महोबा	- रु. 9.05 करोड़
		योग	**- रु. 1 24.82 करोड़**

ग्रामीण जल सम्पूर्ति

5.1 प्रदेश में कुल 97942 आबाद ग्राम है, जिनकी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 13.16 करोड़ है। वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में कुल बस्तियों की संख्या 2,60,110 है। सर्वेक्षण में इसमें से 2,33,341 बस्तियाँ पूर्णतया आच्छादित है तथा 7993 अनाच्छादित तथा 18,776 आंशिक आच्छादित चिन्हित हुई हैं।

5.1.1 **भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति**

- राजीव गांधी मिशन, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति हेतु प्रस्तावित दिशा निर्देश में वर्णित प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् है
- ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।
- पेयजल प्रणाली तथा स्रोत की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना।
- जल की गुणता एवं पर्यवेक्षण हेतु ढॉचा विकसित कर पेयजल की गुणता को संरक्षित करना।
- ग्रामीण पेयजल में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए सेक्टर रिफार्म प्रारम्भ करना।

5.1.2 **पेयजल के मानक**

ग्रामीण पेयजल हेतु जलापूर्ति की दर (लीटर में) निम्नानुसार रखी जाये

पीने हेतु	3	स्वच्छता	7
भोजन पकाने हेतु	5	शौच	10
स्नान	15		
		योग	40

- प्रत्येक स्रोत हैण्डपम्प से 12 ली०/प्रतिमिनट का स्राव मानते हुए प्रति 250 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प स्थापित किया जाये।
- प्रदेश की समस्त बस्तियों (सामान्य) उपरोक्त मानक के आधार पर संतृप्त होने पर राज्य, भारत सरकार की सहमति से पेयजल की आपूर्ति दर में इस प्रतिबन्ध के साथ वृद्धि कर सकते हैं, कि ऐसी योजनाओं पर लाभार्थियों द्वारा लागत का एक अंश (न्यूनतम 10 प्रतिशत) वहन किया जाये एवं योजना के संचालन एवं अनुरक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी ली जाये।

5.1.3 **समस्याग्रस्त बस्तियों का चिन्हीकरण–अनाच्छादित(एन.सी)/नो सेफ सोर्स (एन.एस.एस.)**

1. वे बस्तियां जहां कि 1.6 कि०मी० की दूरी के अन्दर (पहाड़ी क्षेत्र हेतु 100 मीटर की ऊंचाई का अन्तर) में पेयजल हेतु कोई भी सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है।
2. बस्ती में स्थित स्रोत से उपलब्ध पेयजल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानक की दृष्टि से पेय योग्य नहीं है।
3. बस्ती में स्थित पेयजल स्रोत से उपलब्ध पेयजल मात्रा की दृष्टि से पीने एवं भोजन पकाने हेतु पर्याप्त नहीं है।

गुणता से प्रभाावित बस्तियां एन.एस.एस. की श्रेणी में रखी जायेंगी चाहे वे पूर्व के मानक के अनुरूप पूर्ण आच्छादित (एफ.सी) ही क्यों न हों। वे बस्तियां जहां पेयजल की उपलब्धता 8 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से अधिक तथा 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम है को आंशिक आच्छादित (पी.सी.) की श्रेणी में रखा जाये तथा अन्य सभी बस्तियां एफ.सी. की श्रेणी में वर्गीकृत की जायेंगी।

5.1.4 **आच्छादन हेतु प्राथमिकताएं**

गुणता प्रभावित बस्तियाँ फ्लोराइड, आर्सेनिक, खारापन एवं आयरन से प्रभावित बस्तियों को क्रमशः 40:40:15:5 प्रतिशत के क्रम में प्राथमिकता प्रदान की जाय।

40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम उपलब्धता वाले क्षेत्र में सुविधा का विस्तार, पाठशाला, आंगनबाड़ी आदि लोक संस्थानों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।

कार्यक्रम का विवरण

5.2 जिला सेक्टर

5.2.1 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल/न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

राज्य सरकार द्वारा पोषित इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 74–75 से किया गया है। वर्तमान में इसका क्रियान्वयन जिला योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। मुख्य सचिव के आदेश संख्या 914/35–आ–2/99–40 दिनांक 10.08.2000 द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000–01 से मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2002–03 से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विलय प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में कर दिये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अस्तित्व समाप्त हो गया है। वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु इस योजना को ग्रामीण जलापूर्ति एवं जलोत्सारण का नाम दिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापन, पाइप पेयजल योजनायें तथा क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्रूद्धार का कार्य किया जाता है। हैण्डपम्पों की रिबोरिंग जी. आई. पाइप बदलने के कार्य भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे है।

वर्ष 2001-02 से हैण्डपम्प अधिष्ठापन/पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य सामुदायिक सहभागिता को सम्मिलित करते हुए मॉग के आधार पर किये जा रहे है। इस योजना के अन्तर्गत खराब हो गई पाइप योजनाओं के पुनर्रूद्धार (रिहैबिलिटेशन) के कार्य भी कराये जा रहें है।

5.2.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पेयजल योजना

प्रदेश के कमजोर वर्ग के त्वरित उत्थान हेतु इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में हैण्डपम्प अधिष्ठापन/रिबोर के कार्य किये जाते है। वर्ष 2005-06 में इस योजना के लिये अलग से धनावंटन नहीं किया गया है। ग्रामीण जलापूर्ति एवं जलोत्सारण योजना के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सबप्लान के घटक के रूप में धनावंटन किया जाता हैं।

5.3 केन्द्र पोषित योजनायें

5.3.1 त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा पोषित यह कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में पुनः प्रारम्भ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य बस्तियों के आच्छादन का कार्य हैण्डपम्प/पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2001-02 से हैण्डपम्प अधिष्ठापन/पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य सामुदायिक सहभागिता को सम्मिलित करते हुए मॉग के आधार पर किये जाते है।

5.3.2 गुणता प्रभावित ग्रामों में जलापूर्ति

भारत सरकार की सहायता से वर्ष 93-94 से, उन ग्रामों में जहॉ पर उपलबध पेयजल की गुणता मानक के अनुरूप नहीं है, पाइप द्वारा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु 75 प्रतिशत भारत सरकार से 25 प्रतिशत राज्य सरकार से प्राप्त होता है। केन्द्र सरकार का अंश केन्द्र पोषित त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना से प्राप्त होता है।

2006-07 में स्वीकृत योजनाओं एवं अक्टूबर 2007 की उपलब्धि निम्नानुसार है:

(रू०करोड़ में)

	स्वीकृत पाइप योजना	स्वीकृत लागत	सम्मिलित बस्तियाँ		आच्छादित बस्तियाँ		व्यय	पूर्ण योजनाएं
			कुल	एन.एस.एस.	कुल	एन.एस.एस.		

अक्टूबर-2007	628	297.38	4289	3622	3024	2546	218.59	244
योग-	628	297.38	4289	3622	3024	2546	218.59	244

1.4.2005 को प्रदेश में 6377 गुणता प्रभावित बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना शेष था। वित्तीय वर्ष 2005-06 में 900 बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था जिसके सापेक्ष 412 बस्तियाँ एवं 2006-07 में 922 बस्तियाँ लाभान्वित की गई। 5043 अवशेष गुणता प्रभावित बस्तियों को भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत मार्च 2009 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2007-08 में अक्टूबर-2007 तक 341 बस्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

5.3.3. सेक्टर रिफार्म योजना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के पाँच जनपदों नामत: लखनऊ, आगरा, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में आरम्भ की गई। योजना का कार्यान्वयन ग्राम विकास विभाग तथा निदेशक पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया गया। इस योजना के अन्तर्गत मार्च-2004 तक कार्य कराया गया।

5.4 31.03.2007 को ग्रामीण बस्तियों में आच्छादन की स्थिति

वर्ष 1992-93 के सर्वेक्षण में चिन्हित प्रदेश की कुल 2,43,508 आबाद बस्तियों को 30 जून 2001 तक ही 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अर्थात् 250 व्यक्तियों हेतु एक हैण्डपम्प के आधार पर आच्छादित किया जा चुका है। वर्ष 2004 में भारत सरकार के निर्देशानुसार पुन: विस्तृत सर्वेक्षण कर बस्तियों में पेयजल स्थिति का आकलन किया गया है। नवीनतम स्थिति के अनुसार 260110 कुल बस्तियों में से 233341 आच्छादित (एफ.सी.), 7993 अनाच्छादित (एन.सी.) तथा 18776 आंशिक आच्छादित (पी.सी.) बस्तियाँ चिन्हित हुई हैं सर्वेक्षण के पश्चात चिन्हित एन.सी. तथा पी.सी. बस्तियों को (गुणता प्रभावित बस्तियों को छोड़कर) मार्च 2007 तक आच्छादित किया जाना प्रस्तावित था। मार्च 2007 तक 2,56,937 बस्तियों को पूर्ण रूप से आच्छादित(एफ.सी.) किया जा चुका है एंव 650 बस्तियाँ लाभान्वित किया जाना अवशेष है जिसमें से 205 बस्तियाँ (एन.सी.) तथा 445 बस्तियाँ (पी.सी.) हैं। इसके सापेक्ष 133 बस्तियों को अक्टूबर 2007 तक लाभान्वित किया जा चुका है।5.5.

पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

भारत सरकार के सहयोग से प्रत्येक जनपद में पेयजल की गुणवत्ता की निरन्तर जाँच हेतु प्रयोगशालायें स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत समस्त 70 जनपदों में प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं।

5.6 वित्तीय पैटर्न

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का कार्य अनुदान के रूप में प्राप्त धन से किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रम जिनके अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्य कराये जा रहे है, में वित्त पोषण निम्नानुसार है:-

<table>
<tr><th></th><th>राज्यांश</th><th>केन्द्रांश</th><th>समुदाय से अंशदान</th></tr>
<tr><td>1. जिला सेक्टर</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ग्रामीण जलापूर्ति एवं जलोत्सारण कार्यक्रम</td><td></td><td></td><td rowspan="4">नई पेयजल योजनाओं (गुणता प्रभावित योजनाओं को छोड़कर) में पूजी लागत 10 प्रतिशत समुदाय द्वारा वहन किया जाना है।</td></tr>
<tr><td>2. केन्द्र पोषित योजनायें</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>क. त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम</td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>ख. गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु पेयजल</td><td>25%</td><td>75%</td></tr>
</table>

5.7 दशम् पंचवर्षीय योजनाओं में प्रस्ताव

दशम् पंचवर्षीय योजना काल में रू0 2283.47 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है। वर्ष 2006-07 में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु रू0 521.40 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार दशम् पंचवर्षीय योजनाकाल में गुणता प्रभावित लगभग 10,000 बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इसमें से 500 गुणता प्रभावित बस्तियों को वर्ष 2004-05 में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 358 बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2005-06 में 900 गुणता प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 412 एवं वर्ष 2006-07 में 922 तथा वर्ष 2007-08 में अक्टूबर 2007 तक 341 बस्तियाँ आच्छादित की गई। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के निर्देशानुसार संतृप्त बस्तियों में सामुदायिक सहभागिता के साथ 150 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प/70 एल.पी.सी.डी. की सीमा तक जलापूर्ति स्तर में सुधार हेतु अतिरिक्त हैण्डपम्प/पाइप पेयजल योजना का कार्यान्वयन भी प्रस्तावित है।

(रू० लाख में)

वर्ष	शासन द्वारा स्वीकृत		जल निगम को प्राप्त	
	राज्य सरकार से	केन्द्र सरकार से	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत	केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत
2006-07	39873.26	3093.43	21576.68	30193.40

वर्ष 2007-08 में स्वीकृत परिव्यय एवं अवमुक्त राशि का विवरण 31.10.07 तक:

(रू० लाख में)

कार्यक्रम	परिव्यय	शासन द्वारा स्वीकृत	निर्गत स्वीकृतियॉ
ग्रामीण जलसम्पूर्ति एवं जलोत्सारण योजना	40300.00	40151.00	28451.00
त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम	40151.00	40151.00	20075.50
गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु राज्यॉश	5900.00	5900.00	1256.28
गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु केन्द्रांश	5921.00	5921.00	627.09
योग	91272.00	91123.00	30234.37

5.8 पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

प्रदेश में अनुमान के अनुसार रसायनिक दृष्टि से प्रभावित अवशेष बस्तियों की संख्या दिनांक 1.4.05 को 6377 है। प्रदेश में मार्च 2007 तक 1334 बस्तियों में पाइप योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष 5043 बस्तियों को मार्च 2009 तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत समस्त अवशेष प्रभावित बस्तियों को मार्च 2009 तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2007-08 में अक्टूबर, 2007 तक 341 बस्तियों को लाभान्वित किया गया है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में गुणता से प्रभावित बस्तियों में अधिष्ठापित समस्त हैण्डपम्पों के जल के नमूनों का रासायनिक परीक्षण कर प्रभावित बस्तियों को चिन्हित किया जा रहा है।

5.9 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण

झाँसी एवं चित्रकूट मण्डल के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जलसम्पूर्ति के संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व जल संस्थानों का है, जबकि प्रदेश के अन्य मण्डलों के ग्रामीण क्षेत्र में यह दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम का है। जल संस्थान के अन्य मण्डलों के ग्रामीण क्षेत्र में यह दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम का है। जल संस्थान के क्षेत्र में कुछ योजनाओं के हस्तान्तरण न हो पाने के कारण जल निगम द्वारा ही इनका रखरखाव किया जा रहा है। शासनादेश संख्या-992/38-5-2002 दिनांक 26.03.2002 द्वारा हैण्डपम्पों के अनुरक्षण का कार्य दिनांक 1.4.2002 से ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है।

अक्टूबर 2007 तक 87 एकल ग्राम योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। वर्ष 2007-08 में जल निगम द्वारा माह अक्टूबर 2007 तक 1076 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन व अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है। जल निगम द्वारा अनुरक्षित की जा रही एकल ग्राम की योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ एवं सामुदायिक सहभागिता इकाई

6.0 निदेशक मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के नियंत्रण में मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ तथा सामुदायिक सहभागिता इकाई है। गत वर्षो में व वर्तमान में इनके द्वारा कराये गये/जा रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

6.1 राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ

जल सम्पूर्ति के साधनों के निर्माण एवं रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता दृष्टिगोचर होने पर संविधान के 73वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज (संशोधित) अधिनियम में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त योजनाओं का रख-रखाव कार्य अब ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ को पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय इकाई अर्थात् ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से सृजित किया गया था। भारत सरकार से वित्तीय पोषित होते हुये इसके अन्तर्गत 62000 से अधिक कर्मियों को हैण्डपम्प मैकेनिक, राजगीर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व सामुदायिक भागीदारी के प्रेरक हेतु प्रशिक्षित किया गया। प्रकोष्ठ द्वारा सघन जागरूकता एवं संचेतना कार्यक्रमों का आयोजन तथा टी.वी./रेडियो के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम (आई0ई0सी0 कार्यक्रम) भी सम्पन्न कराये गये। भारत सरकार द्वारा मार्च 2003 के अन्त से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई एवं इसके पश्चात् इस पर प्रदेश शासन के स्तर से कार्यवाही की अपेक्षा की गई थी। तदुपरांत प्रदेश शासन द्वारा उक्त कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को सौंप दिया गया है।

6.1.1 वर्ष 2003-04 में प्रकोष्ठ द्वारा कराये गये कार्य

1.	नव नियुक्त 28 सहायक अभियंताओं का इन्डक्शन कोर्स (90 दिवसीय)	1 बैच	28 कर्मी
2.	नव नियुक्त मण्डलीय लेखाकारों का इन्डक्शन कोर्स (90 दिवसीय)	1 बैच	10 कर्मी
3.	सामान्य व एडवान्स कम्प्यूटर प्रशिक्षण	5 बैच	48 कर्मी
4.	मोटिवेशन व कम्यूनिकेशन (900 जूनियर इंजीनियर से अधीक्षण अभियंता)	44 बैच	1100कर्मी
5.	राज्य स्तरीय सेमिनार (नदी जल-गुणता एवं जल संरक्षण)	1 संख्या	

6.1.2 वर्ष 2004-05 में प्रकोष्ठ द्वारा कराये गये कार्य

1.	विद्युत यांत्रिक जूनियर इंजीनियरों का तकनीकी प्रशिक्षण	1 बैच	19 कर्मी
2.	सामान्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण	3 बैच	26 कर्मी
3.	राज्य स्तरीय सेमिनार (एडवान्सेस इन फिल्ट्रेशन टैक्नीक)	1 संख्या	

6.1.3 वर्ष 2005-06 में प्रस्तावित व कराये गये कार्य

यूनिसेफ सहायतित कतिपय गतिविधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को यूनिसेफ से विशेष प्रयास करके प्राप्त किया गया। इसमें जल निगम पर किसी प्रकार का व्यय-भार नहीं आयेगा, अपितु विभाग को संस्थागत सैन्टेज प्राप्त होगा।

यूनिसेफ द्वारा जनपद ललितपुर को कन्वर्जेन्ट जनपद के रूप में अपनाया गया है तथा वहां विकास सम्बन्धित सभी मुख्य बिन्दुओं पर उनके द्वारा योगदान किया जा रहा है, जिसमें जलापूर्ति व स्वच्छता भी सम्मिलित है। इस बिन्दु के अन्तर्गत हैण्डपम्प मैकेनिकों का प्रशिक्षण व जनता का अभिमुखीकरण कार्य जल निगम के मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से कराये जाने की सहमति हुई है।

जनपद ललितपुर के सभी 6 विकास खण्डों में हैंडपम्प मैकेनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिसेफ को अनुमानित लागत रू0 70 लाख की एक योजना प्रस्तुत की गई है। एक ब्रेन स्टार्मिग कार्यशाला दिनांक 15.07.05 को लखनऊ में तथा अन्य एक ब्रेन स्टार्मिग कार्यशाला दिनांक 26.07.05 को ललितपुर में आयोजित करके कार्यक्रम की रणनीति व विषय सामग्री निर्धारित की गई। वर्ष 2005-06 में कुल 25 बैच सी-लेवल हैण्डपम्प मैकेनिक प्रशिक्षण कराये गये।

6.1.4 वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में कराये गये कार्य

(क) यूनीसेफ सहायतित कार्यक्रम के अंतर्गत

मार्च 2007 तक 38 बैच सी-लेवल हैण्डपंप मैकेनिक प्रशिक्षण कराये गये हैं। अब तक कुल 628 सी-लेवल तथा 167 बी-लेवल हैण्डपंप मैकेनिक प्रशिक्षित किये गये। रिफ्रेशर्स बी-लेवल, अपकीप प्रशिक्षण भी कराया गया, जिससे कि मैकेनिक और सुस्थापित हो सकें। ललितपुर में 3 रिव्यू कार्यशालायें भी आयोजित की गई, जिसके दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम को और उपयोगी बनाने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जनपद ललितपुर में इण्डिया मार्क-2 हैण्डपंपों के पास पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित कार्य भी सम्पन्न कराये गये एवं जनता को भी पर्यावरण स्वच्छ रखने हेतु जागरूक किया गया। जनपद ललितपुर में अक्टूबर 07 तक 19 वैच सी लेवल तथा 19 बैच बी लेबल हैण्डपम्प मैकेनिक प्रशिक्षण कराये गये हैं जिसमें कुल 196 सी लेबल एवं 58 बी लेबल हैण्डपम्प मेकैनिक प्रशिक्षित किए गये। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित हैण्डपम्प मेकैनिकों को समस्त ब्लाक प्रमुख खण्ड विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ताओं, एच.पी.आर.सी. (हैण्डपम्प रिपेयर सेंटर) से दो-दो प्रतिभागी तथा विकास खण्डों में तैनात हैण्डपम्प मेकैनिकों के साथ में अजय इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, गाजियाबाद का दिनांक 22.9.07 को एक दिवसीय तकनीकी भ्रमण कराया गया।

जनपद ललितपुर के कार्यो की तरह जनपद बलिया में 68 तथा जनपद लखीमपुर खीरी में 20 आर्सेनिक रहित अधिक गहरे इण्डिया मार्क-2 हैण्डपंपों के चारों तरफ पर्यावरण स्वच्छता संबंधी कार्य कराये गये।

<u>यूनीसेफ सहायतित कार्यक्रम के अंतर्गत ललितपुर में कराये गये प्रशिक्षण कार्यों का विवरण</u>

वर्ष	कुल प्रशिक्षण		कुल प्रशिक्षित		प्रशिक्षण के दौरान हैण्डपम्प मरम्मत	पर्यावरण स्वच्छता कार्य के स्थल
	स्तर सी	स्तर बी	स्तर बी	स्तर सी		
2005-06	25	21	61	248	334	165
2006-07	38	36	106	380	625	385
2007-08 (अक्टूबर तक)	19	19	58	196	147	
योग	82	76	225	824	1106	550

जनपद ललितपुर में यूनीसेफ सहायतित हैण्डपम्प प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2008 तक पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव है।

मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से संचालित उक्त कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए यूनिसेफ ने अपने सहयोग का आधार और बढ़ाने पर विचार करने के संकेत दिये हैं।

(ख) वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज से संबंधित कार्य

मुख्य अभियंता (ग्रामीण) के कार्यालय ज्ञाप सं0–1283/2043–0201/06, दि0 30–09–06 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज से संबंधित कार्यों के अनुश्रवण एवं इससे संबंधित समस्त कार्यवाही तथा संबंधित पत्रावलियों का रख–रखाव राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ द्वारा किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में माह अक्टूबर, 2006 से इस प्रकोष्ठ द्वारा वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज के कार्यों के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में भूजल स्तर के अनुश्रवण, भूजल प्रबंधन, नियोजन तथा भूजल संचयन एवं रिचार्जिंग की योजनाओं के समन्वय हेतु शासनादेश सं0– 1624/62–1–2400–7 डब्लू0पी0/2004 टी0सी0, दि0 08.11.04 द्वारा भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 को **नोडल एजेन्सी** घोषित किया गया है। प्रदेश में भूजल संचयन एवं रिचार्जिंग की योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है।

भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 2006–07 में प्रदेश के 36 जनपदों के 141 क्षेत्र पंचायत ऐसे चिन्हित किये गये हैं, जहां भूगर्भ जल का स्तर 8 मीटर से अधिक गहरा है एवं भूजल के स्तर में प्रतिवर्ष 10 सेमी से अधिक गिरावट हो रही है। इन्हीं 141 क्षेत्र पंचायतों में भूजल संचयन एवं आर्टीफिसियल रिचार्जिंग की योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उक्त 141 क्षेत्र पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं	**जनपद**	**भूजल समस्याग्रस्त क्षेत्र पंचायतों की संख्या**	**क्र0 सं0**	**जनपद**	**भूजल समस्याग्रस्त क्षेत्र पंचायतों की संख्या**
1	इलाहाबाद	5	19	बरेली	3
2	सोनभद्र	8	20	लखनऊ	1
3	मिर्जापुर	8	21	रायबरेली	3
4	चन्दौली	2	22	शाहजहांपुर	1
5	फतेहपुर	1	23	मुजफ्फरनगर	7
6	जौनपुर	2	24	आगरा	9
7	कौशाम्बी	1	25	अलीगढ़	1
8	देवरिया	1	26	बागपत	4
9	फैजाबाद	1	27	बिजनौर	1
10	बांदा	8	28	एटा	3
11	ललितपुर	6	29	फिरोजाबाद	4
12	झांसी	7	30	हाथरस	4
13	चित्रकूट	5	31	जे0पी0 नगर	4
14	हमीरपुर	7	32	मैनपुरी	1

15	फर्रूखाबाद	2	33	मथुरा	4
16	कन्नौज	2	34	मुरादाबाद	4
17	महोबा	4	35	रामपुर	1
18	बदायूं	12	36	सहारनपुर	4
कुल 36 जनपद, 141 क्षेत्र पंचायत					

प्रदेश के शेष 679 क्षेत्र पंचायतों में भूगर्भ जल की समस्या व तात्कालिक चुनौती नहीं है। इन क्षेत्र पंचायतों में भूजल के कृत्रिम पुनर्ग्रहण (रिचार्ज) की आवश्यकता नहीं है तथा प्राकृतिक रूप से वर्षा जल संचयन से स्थिति नियंत्रण में है।

ग्रामीण पेयजल से संबंधित निम्नलिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज से संबंधित कार्य कराये जाने का प्राविधान है:-

(1) ग्रामीण जलसंपूर्ति जलोत्सारण योजना (जिला योजना)

प्रदेश में भूगर्भ जल स्तर में आ रही गिरावट को रोकने हेतु उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 तक निम्नानुसार व्यवस्था लागू थी:-

जिला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एवं अनुसूचित जाति/जनजाति पेयजल योजना से ग्रामीण पेयजल हेतु जनपदों को शासन स्तर से स्वीकृत की जा रही धनराशि में से 25 प्रतिशत की धनराशि भूजल रिचार्ज हेतु मात्राकृत की जा रही थी, जिसके अन्तर्गत भूजल रिचार्ज की योजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरांत जिलाधिकारी द्वारा उसका कार्यान्वयन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता था।

वित्तीय वर्ष 2005-06 से शासनोदश सं0-4079/38-5-2005-200(29)/2004, ग्राम्य विकास अनुभाग-5, दि0 07.11.05 द्वारा ग्रामीण जल संपूर्ति जलोत्सारण योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के कुल 20 प्रतिशत धनराशि का मात्रांकन क्वालिटी टेस्टिंग एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्टीफिशियल रिचार्जिंग इत्यादि के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी पर खर्च करने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत भूजल रिचार्ज की योजना संबंधित जिलाधिकारी द्वारा तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त उसका क्रियान्वयन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है तथा कार्यो का अनुश्रवण संबंधित मुख्य विकास अधिकारियों के माध्यम से आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा किया जाता है।

उ0 प्र0 जल निगम मुख्यालय स्तर से उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

(2) त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम

भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार वर्ष 2002-03 से केन्द्र पोषित त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कुल धनराशि का 5 प्रतिशत स्रोतों के स्थायित्व (सस्टेनेबिलिटी) मद पर व्यय किया जाना निर्धारित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, कार्यो का

सम्पादन प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सोर्स फाइंडिंग कमेटी एवं तकनीकी समिति द्वारा आगणनों के अनुमोदन के उपरान्त उ0 प्र0 जल निगम द्वारा कराया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित आगणनों की जांच एवं कार्यो की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उ0 प्र0 जल निगम द्वारा अभी तक केवल चेक डैम्स का ही निर्माण कार्य कराया गया है। दशम् पंचवर्षीय योजना के दौरान (2002-07) निर्मित एवं निर्माणाधीन चेक डैम्स का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	जनपद	2002-07 के दौरान निर्मित		01.04.07 को निर्माणाधीन	
		चेक डैम्स की संख्या	कुल व्यय की गयी धनराशि	चेक डैम्स की संख्या	कुल उपलब्ध धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	-	-	1	16.78
2	हाथरस	-	10	2	31.5
3	आगरा	9	283.36	-	-
4	मैनपुरी	1	32.98	1	9.86
5	जालौन	4	36.6	1	3.3
6	झांसी	2	18.62	-	-
7	ललितपुर	4	67.42	-	-
8	महोबा	6	92.26	3	97.27
9	हमीरपुर	5	93.13	-	-
10	चित्रकूट	6	91.30	-	-
11	मऊ	-	2.13	3	100.19
	योग	**37**	**727.80**	**11**	**258.90**

राज्य स्तरीय सोर्स फाइंडिंग कमेटी एवं तकनीकी समिति द्वारा वर्ष 2006-07 में निम्नानुसार आगणन स्वीकृत किये गये हैं:-

क्र0	जनपद	स्वीकृत कार्यो की सं0			कुल अनु0 लागत (रू0 लाख में)
		चेक डैम्स	रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग	तालाब	
1.	फतेहपुर	-	5	-	11.68
2.	फैजाबाद	-	7	-	25.22
3.	बाँदा	6	-	-	146.80
4.	हमीरपुर	7	-	-	212.56
5.	बरेली	4	24	-	65.90
6.	शाहजहाँपुर	-	4	-	20.00
7.	बागपत	-	45	-	85.58

8.	मथुरा	–	43	–	84.84
9.	मुरादाबाद	–	27	–	28.11
10.	देवरिया	–	–	3	25.60
11.	कन्नौज	–	19	–	48.63
12.	जे0पी0 नगर	–	25	–	45.60
	कुल	**17**	**199**	**3**	**800.52**

गत वित्तीय वर्ष में 50 प्रतिशत धनराशि जनपदों को उपलब्ध करा दी गई है। कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किये जा रहे है।

इस वित्तीय वर्ष में उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सस्टेनेबिलिटी/भूजल रिचार्ज से संबंधित कार्यो के आगणन प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराये जा रहे हैं।

6.2 सामुदायिक सहभागिता इकाई द्वारा पूर्ण कराये गये कार्य

6.2.1 डच सहायतित कार्यक्रमः–

डच सहायतित परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाने एवं समुदाय को प्रेरित करने हेतु साफ्ट–वेयर कार्यो के लिए सामुदायिक सहभागिता इकाई गठित की गयी थी। सामुदायिक सहभागिता इकाई द्वारा माह जून 1999 से परियोजना क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता अभियान एवं सामुदायिक सहभागिता के कार्य सम्पादित कराये गये। परियोजना क्षेत्र में इकाई द्वारा 20770 वार्ड समितियों के गठन, समुदाय से हैण्डपम्प रख रखाव मद में रू0 38.75 लाख की धनराशि एकत्रित करने, समुदाय की सहायता से 17088 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु स्थल चयन व पूर्व में अधिष्ठापित 21397 हैण्डपम्पों में सुधार कार्य हेतु रिव्यू के कार्य सम्पादित कराये गये।

6.2.2 विश्व बैंक सहायतित स्वजल परियोजना

विश्व बैंक सहायतित पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की स्वजल परियोजना के अन्तर्गत 26 ग्रामों में सामुदायिक सहभागिता के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं में सहयोगी संस्था की भूमिका का कार्य तथा ग्रामीण पेयजल स्वच्छता समिति के माध्यम से इनके अन्तर्गत 24 ग्रामों में 158 नग इण्डिया मार्क–2 का अधिष्ठापन एवं दो ग्रामों में लघु पाइप योजना का कार्य व साथ ही 26 ग्रामों में पर्यावरण स्वच्छता हेतु 1361 घरेलू शौचालय, 659 कम्पोस्ट पिट एवं 711 सोखता गढ्ढों के निर्माण कार्य करवाये गये।

6.2.3 **हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु सामुदायिक सहभागिताः**

वर्ष 2001–2002 में जनपद वाराणसी, बलिया, रायबरेली, बदायूॅ बाराबंकी, तथा ललितपुर के 2–2 विकास खण्डों, गोण्डा, लखीमपुर के 1–1 विकास खण्ड में तथा बॉदा के 5 विकास खण्डों में कुल 185 हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु स्थानीय शाखाओं में कुल रू0 03.85 लाख की अंशदान की धनराशि भी समुदाय को प्रेरित करके जमा करायी गयी।

6.2.4 यूनिसेफ सहायतित कार्य :–

6.2.4.1 बाल पर्यावरण योजना

जनपद वर्ष 2000 से 2003 के मध्य युनिसेफ–डी.एफ.आई.डी. सहायतित कार्यक्रम में बाल पर्यावरण परियोजना के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर, बदायूॅ एवं ललितपुर में ग्राम पंचायत, विभिन्न शासकीय विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से क्षमता विकास एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समन्वित पेयजल व स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी इकाई द्वारा कराया गया। इन तीन जनपदों के दो–दो क्षेत्र पंचायतों में, 25–25 ग्राम पंचायतों के ग्रामों में पर्यावरण सुधार हेतु सामुदायिक सहभागिता से 150 कार्ययोजना तैयार कराये जाने का प्रस्ताव था। इन योजनाओं से सेक्टर रिफार्म कार्यक्रम की तरह से ही कैपिटल कास्ट (प्रारम्भिक लागत) का दस प्रतिशत समुदाय को वहन करने तथा रख रखाव का पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व समुदाय/ग्राम पंचायत (जल प्रबन्धन समिति) का होना था।शेष 90 प्रतिशत धन यूनिसेफ–डीएफआईडी द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। प्रत्येक जनपद में 10–10 ग्राम पंचायतों के लिए युनिसेफ द्वारा धनराशि दी गई जिसके समक्ष तदनुसार कार्य कराये गये। कार्य–योजना के अनुसार समुदाय/ ग्रामवासियों को प्रेरित कर उनके उपरोक्तानुसार अंशदान हेतु सहमत होने पर उनकी सहमति से चयनित तकनीकी विकल्प की जलापूर्ति एवं स्वच्छता की मांग आधारित कार्य योजना उनसे तैयार करायी गई।

6.2.4.2 जनपद इलाहाबाद में अल्टरनेट डिलीवरी सिस्टम

जनपद इलाहाबाद में अल्टरनेट डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से 9 क्षेत्र पंचायतों में स्वच्छता प्रसार कार्यक्रम का कार्यान्वियन तीन चरणों में किया गया है। इनके अन्तर्गत ग्राम वासियों में स्वच्छता सुविधाओं हेतु जागरूकता उत्पन्न करना, पेयजल के सुरक्षित रखरखाव एवं उपयोग हेतु जागरूक करना तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से पंचायतों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के कौशल वृद्धि के कार्य किये गये है। ग्राम स्तर पर स्वच्छता से सम्बन्धित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र (रूरल सेनेट्री मार्ट) एवं स्वच्छता सामग्री निर्माण केन्द्रों (प्रोडक्सन सेन्टर) की स्थापना एवं ग्रामों में गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से शौचालयों के निर्माण एवं प्रबन्धन सम्बन्धी व्यवस्था तैयार करना, कार्य सम्मिलित हैं। इस इकाई द्वारा इस योजना के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद में चार प्रोडक्शन सेन्टर क्रमशः नैनी, हंडिया, तुलापुर एवं मलकिया जलकल प्रांगण में बनाए गये थे । इन प्रोडक्शन सेन्टर के साथ एक–एक ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र भी स्थापित किये गये थे, जिनसे प्रोडक्शन सेन्टर में निर्मित फेरो सीमेन्ट स्कवैटिंग प्लेटफार्म एवं अन्य सफाई से सम्बन्धित सामग्री लाभार्थियों को लागत पर कार्य योजना अवधि में उपलब्ध कराई गई।

6.2.4.3 अरबन इनीसिएटिव इन स्लम्स ऑफ इलाहाबादः–

यूनिसेफ सहायतित अरबन इनीसिएटिव इन स्लम्स ऑफ इलाहाबाद कार्यक्रम के अन्र्तगत अन्र्तराष्ट्रीय संस्था केयर इण्डिया द्वारा जनपद इलाहाबाद की 40 मलिन बस्तियों में महिला एवं किशोरियों के लिए प्रजनन एवं स्वास्थ्य के लिए चलाये जा रहे **''आसरा''** कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं जन संचेतना के कार्य कराये गये। कार्यक्रम के अन्तर्गत केयर की इलाहाबाद इकाई के स्टाफ ट्रेन्ड बर्थ अटेण्डेन्ट,(टी0बी0ए0) ए0 एन0 एम0, ऑगनबाड़ी कार्यकत्री, स्कूल टीचर, एडोलसेन्ट गर्ल्स गाइड (ए0बी0जी0) एवं एडोलसेन्ट ब्वायस गाइड इत्यादि स्टाफ हेतु पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। जनपद इलाहाबाद की मलिन बस्तियों में हैण्ड पम्पों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु महिला हैण्डपम्प मेकैनिक का प्रशिक्षण तथा मलिन बस्तियों में पेयजल की गुणवत्ता की जॉच का कार्य भी कराया गया।

6.2.5 <u>राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार द्वारा पोषित आई.ई.सी. कार्य:</u>

इकाई द्वारा आई.ई.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के चार जनपदों क्रमशः रायबरेली, वाराणसी, बाँदा एवं हाथरस हेतु रू0 138.81 लाख की कार्य योजना के अन्तर्गत कार्य कराया गया है। कार्यक्रम के संचालन के लिए जनपद रायबरेली में क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान रायबरेली, जनपद बांदा में पॉलीटेक्निक बांदा, जनपद वाराणसी तथा हाथरस में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जनपदीय समन्वयन इकाई के रूप में चयनित किया गया था। उक्त चारो जनपदों में जिला समन्वय इकाई के माध्यम से ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक एवं अन्य संचार माध्यमों से जनसमुदाय को पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी देकर जागरूक करने का कार्य किया गया है।

6.2.6 <u>प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों में पेयजल व्यवस्था का सर्वेक्षण कार्यः-</u>

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के समस्त 70 जनपदों की ग्रामीण बस्तियों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के सर्वेक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम की स्थानीय इकाईयों के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारियों के सहयोग से किया जा चुका है। ग्राम स्तर पर आंकड़ों को एकत्र करने का कार्य जल निगम के फील्ड स्टाफ तथा अन्य विभागों के सहयोग से करके जनपद की नेशनल इन्फार्मेटिक सेन्टर (एन0आई0सी0) के सहयोग से आंकड़ों की डाटाएन्ट्री का कार्य पूरा करके आंकड़ों की डाटा सीडी नवम्बर 04 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

6.2.7 **<u>सामुदायिक सहभागिता इकाई द्वारा कराये जा रहे कार्य</u>**

6.2.7.1 **वाटर क्वालिटी सर्वेक्षण कार्य द्वितीय फेज का कार्यः-**

प्रदेश में गुणवत्ता सर्वेक्षण प्रथम चरण का कार्य वर्ष 2001 में पूर्ण किया गया था। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रथम चरण के गुणता परीक्षण के दौरान जिन क्षेत्र पंचायतों की बस्तियाँ गुणता प्रभावित पाई गई थीं, उन विकास खण्डों की समस्त बस्तियों में उपलब्ध समस्त श्रोतों का जल परीक्षण द्वितीय चरण में कराया जाना था।

भारत सरकार के पत्रांक डब्लू-11037/2/2005-टी.एम.-II दिनांक 19.10.05 के द्वारा प्राप्त सुझाव के आधार पर पेयजल गुणवत्ता सर्वेक्षण द्वितीय चरण की कार्य योजना में केवल उन्हीं विकास खण्डों को सम्मिलित किया गया है जिनमें प्रथम चरण के सर्वेक्षण में फ्लोराइड एवं खारेपन की समस्या पाई गई थी तथा इन क्षेत्र पंचायतों के समस्त श्रोतों का मात्र फ्लोराइड, खारेपन, आयरन तथा नाइट्रेट हेतु ही परीक्षण किया जा रहा है।

प्रदेश के 69 जनपदों के जिन 556 विकास खण्डों में फ्लोराइड अथवा /एवं खारेपन की समस्या प्रथम चरण के सर्वेक्षण में पाई गई थी उन विकास खण्डों के समस्त श्रोतों के परीक्षण का प्राविधान द्वितीय चरण की कार्य योजना में किया गया है। फील्ड स्तर पर किये गये परीक्षणों की पुष्टि करण हेतु कार्य योजना के अनुसार 2 प्रतिशत श्रोतों का जनपद स्तरीय प्रयोगशाला में तथा 0.5 प्रतिशत स्रोतों का राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में भी परीक्षण किया जा रहा है।

फील्ड टेस्टिंग का कार्य जल निगम के फील्ड स्टाफ द्वारा कराया जा रहा है। फील्ड टेस्टिंग हेतु आवश्यक फील्ड टेस्ट किट एवं रिफिल की व्यवस्था करके जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका हैं एवं इस कार्य हेतु जल निगम के स्टाफ का प्रशिक्षण किया जा चुका है तथा जल गुणवत्ता परीक्षण के कार्य प्रगति पर है।

6.2.7.2 राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा वित्त पोषित जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं सतर्कता (वाटर क्वालिटी मानीटरिंग एवं सर्विलेन्स) कार्यक्रम :-

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम (National Rural Drinking Water Quality Monitoring and Surveillance Progaramme) का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जल की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं निगरानी का विकेन्द्रीकरण करके प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त पेयजल स्रोतों का समुदाय के माध्यम से अनुश्रवण एवं निगरानी का कार्य किया जाना है।

प्रदेश में उक्त कार्यक्रम का संचालन राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा उ0 प्र0 जल निगम के समन्वय से किया जा रहा है।

<u>इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित 3 मुख्य अवयव है :-</u>

1. **सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण :-** इसके अर्न्तगत समुदाय को पेयजल की गुणवत्ता, पेयजल स्रोतो का सुचारू रूप से रखरखाव एवं जल जनित रोगों के बारे में जानकारी देकर पेयजल के उपयोग एवं उनके रखरखाव के सम्बन्ध में उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु गतिविधियां की जा रही है।
2. **मानव संसाधन विकास :-** चूंकि पेयजल स्रोतो का परीक्षण ग्राम स्तर पर ग्राम के ही ग्रामवासियों के द्वारा ही किया जाना है। अत: मानव संसाधन विकास हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण तथा ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओ का प्रशिक्षण करने हेतु कार्यशालाओं एवं अन्य गतिविधियो का आयोजन किया जा रहा है।

   सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण एवं मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित उपरोक्त दोनों गतिविधियॉ: राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संचालित की जा रही हैं । इन कार्यक्रमों में जल निगम द्वारा प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेकर योगदान दिया जा रहा है।
3. **पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी:** इसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण पेयजल स्रोतों की टरविडिटी, पी.एच, हार्डनेश, क्लोरीन आयरन, नाइट्रेट फ्लोराइड, रेसिडुक्ल क्लोरीन एवं वैक्टेरियो लाजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु निम्नानुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रस्तावित है:-

(क) ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्था :- ग्राम पंचायत स्तर पर फील्ड किट के माध्यम से समस्त पेयजल स्रोतों (समस्त सरकारी एवं व्यक्तिगत पेयजल स्रोतों) की शत प्रतिशत फील्ड स्तरीय परीक्षण का कार्य पंचायत स्तर पर चिन्हित पंचायत कर्मियों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थानीय स्तर पर जल की गुणवत्ता की जॉच के लिए

एक फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराई जाएगी। **<u>फील्ड टेस्ट किट की व्यवस्था उ0 प्र0 जल निगम द्वारा करके ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जा रही है।</u>**

(ख) जनपद स्तरीय व्यवस्था :- ग्राम पंचायतों के द्वारा जॉचे गये नमूनों में से कम से कम 30 प्रतिशत नमूनों की उ0 प्र0 जल निगम की जनपदीय प्रयोगशालाओं द्वारा जॉच। जनपद स्तरीय प्रयोगशाला द्वारा उन स्रोतों की अनिवार्य रूप से जॉच की जाएगी जहॉ ग्राम स्तरीय जॉच में प्रदूषण की संभावना पाई गई है।

(ग) राज्य स्तरीय व्यवस्था :- राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के द्वारा जनपद स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा जॉचे गये नमूनों में से कम से कम 10 प्रतिशत नमूनों की जॉच की जाएगी इनमें वे नमूने भी सम्मिलित होंगे जिनमें प्रदूषण पाया गया।

फील्ड स्तर पर गतिविधियॉ पंचायतों द्वारा की जानी है तथा मानीटरिंग एवं सर्विलेन्स गतिविधियों हेतु जल निगम द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को उक्त पैरामीटर्स के रासायनिक परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट तथा जीवाणु परीक्षण हेतु हाइड्रोजन सल्फाइड की शीशियों की व्यवस्था करके उपलब्ध करायी जा रही है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर पेयजल स्रोतों के परीक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत से पांच व्यक्तियों को पेयजल की गुणवत्ता के फील्ड टेस्ट द्वारा परीक्षण राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कराया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण के उपरान्त जल निगम द्वारा विकास खण्ड अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को फील्ड टेस्ट किट तथा H2S Vials उपलब्ध कराये जाने हैं। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रदेश के 17 कमिश्नरी मुख्यालय के जनपदों में प्रशिक्षण के कार्य आरम्भ किये गये तथा इन्हीं जनपदों में फील्ड टेस्ट किट तथा H2S Vials उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त परिपेक्षय में जल निगम द्वारा 17 कमिश्नरी मुख्यालय के जनपदों में फील्ड टेस्ट किट तथा H2S Vials उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

उक्त कार्यक्रम के संचालन में सहयोग एवं तकनीकी परामर्श हेतु राज्य स्तर पर एक रिफरल संस्था का चयन किया जाना था। उक्त संस्था द्वारा कार्यक्रम के संचालन से जुड़े तकनीकी मुद्दों यथा राज्य/जनपद स्तरीय पेयजल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, फील्ड टेस्ट किट की व्यवस्था एवं प्रदूषण से प्रभावित चिन्हित क्षेत्रों में विस्तृत जॉच, विशिष्ट प्रदूषणकारी तत्वों की जॉच तथा अन्य प्रमुख विषयों पर परामर्श दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में स्टेट रेफरल संस्था के रूप में औद्योगिक विष विज्ञान केन्द्र, लखनऊ का चयन किया गया है तथा इस हेतु मेमोरेन्डम आफ अन्डर स्टैन्डिंग पर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग उ०प्र० शासन एवं औद्योगिक विष विज्ञान केन्द्र द्वारा हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

6.2.8 यूनिसेफ सहायतित आर्सेनिक अध्ययन कार्य –

6.2.8.1 प्रथम चरण:– सर्वप्रथम 2003 में उत्तर प्रदेश में जनपद बलिया में आर्सेनिक की समस्या के प्रकाश में आने पर यूनिसेफ की सहायता से प्रदेश के जनपद बलिया तथा लखीमपुर खीरी में पीने के पानी में आर्सेनिक की उपलब्धता के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन हेतु कार्ययोजना सामुदायिक सहभागिता इकाई, द्वारा तैयार की गई। कार्ययोजना के अन्र्तगत उक्त जनपदों में यूनिसेफ द्वारा आर्सेनिक टेस्टिंग हेतु जनपदों में प्रयोगशालाओं को टेस्टिंग उपकरण (U.V. Spechophotometer pretated itams) आर्सेनिक फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराने, सैम्पल एकत्र करने, सैम्पल की जांच के साथ– साथ प्रशिक्षण/ जन जागरूकता के कार्यो का प्राविधान किया गया। कार्य योजना के प्रथम चरण में बलिया तथा लखीमपुर जनपदों में आर्सेनिक की प्रारम्भिक छानबीन परीक्षण (Screeing) का कार्य किया जा चुका है।

6.2.8.2 द्वितीय चरण:– उक्त कार्य योजना के द्वितीय चरण में जनपद बलिया एवं लखीमपुर में प्रथम चरण में चिन्हित क्षेत्रों में आर्सेनिक की सघन परीक्षण (Blanket testing) एवं प्रदेश के अन्य 49 जनपदों के 289 विकास खण्डों में आर्सेनिक की प्रारम्भिक छानबीन परीक्षण (Screeing) का कार्य किया जा रहा है। कार्ययोजना के अन्तर्गत लखनऊ स्थिति जल निगम की केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं वाराणसी जनपदीय प्रयोगशाला हेतु यू. वी. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की स्थापना का कार्य भी किया गया है।

सघन परीक्षण के दौरान जिन बस्तियों के पेयजल स्रोतो में आर्सेनिक की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक पायी गयी है तथा जिनमें कोई भी सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है वहॉ पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक्सट्रा डीप हैण्डपम्प अधिष्ठापन, सैनिटरीडगवेल, भूजल संचयन टैंक के लिए कार्यवाही की जा रही है। सघन परीक्षण के दौरान आर्सेनिक से प्रभावित पाये गये स्रोतों को लाल रंग से चिन्हित करके जन समुदाय को इन स्रोतों का जल खाने-पकाने एवं पीने में न प्रयोग करने हेतु जागरूक करने कें लिए विभिन्न आई. ई. सी. गतिविधियॉं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है। प्रदेश के अन्य 49 जनपदों के 289 विकास खण्डों में आर्सेनिक की प्रारम्भिक छान–बीन परीक्षण (Screeing) का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

तृतीय चरण:– तृतीय चरण में उक्त कार्य योजना के द्वितीय चरण में आर्सेनिक की प्रारम्भिक छानबीन परीक्षण (Screeing) के परिणामों के दृष्टिगत जनपद बहराइच, चन्दौली, गाजीपुर, गोरखपुर एवं बरेली के चिन्हित विकास खण्डों में आर्सेनिक की सघन परीक्षण (Blanket testing) का कार्य किया जा रहे है।

उक्त कार्य योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की जी.आई.एस. मैपिंग एवं पेयजल गुणवत्ता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्य भी कराये जा रहा हैं।

6.2.9 युनीसेफ सहायतित मल्टी डिस्टिक्ट असेसमेन्ट आफ वाटर सेफ्टी कार्यक्रम :–

प्रदेश में विभिन्न पेयजल प्रणालियों में सुरक्षा स्तर (स्रोत के आस–पास की स्वच्छता तथा स्रोत से प्राप्त पेयजल की गुणवत्ता के सन्दर्भ में) के आकलन हेतु प्रदेश के तीन जनपदों क्रमश: इलाहाबाद, गोरखपुर एंव ललितपुर में पेयजल व्यवस्था की गुणवत्ता के अध्ययन हेतु यूनिसेफ द्वारा एक शोध योजना क्रियान्वित की जा रही है। शोध योजना में निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित हैं:–

जनपदों के समस्त विकास खण्डों की ग्रामीण बस्तियों में अधिष्ठापित शासकीय पेयजल स्रोतों तथा इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प एवं पाइप पेयजल योजना तथा व्यक्तिगत हैण्डपम्पों के 400 नमूनों में रासायनिक एवं जैविक प्रदूषण का यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध करायी गई बैगटेक फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से परीक्षण।

जिन स्रोतों के पेयजल नमूनों की जॉच की जानी है उनके स्टैटिक वाटर लेबिल, फ्लोरेट (डिसचार्ज) गहराई इत्यादि की सूचना भी एकत्र की जानी है। स्टैटिक वाटर लेबिल की जॉच हेतु डिप मीटर यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिन स्रोतों के पेयजल नमूनों की जॉच की जानी है उनके आसपास की स्थिति के आकलन हेतु "स्वच्छता सर्वेक्षण (सेनेट्री सर्वे)" भी निर्धारित प्रारूप पर किया जाना है। सेनेटरी सर्वेक्षण में स्रोत की स्थिति उसके आस पास की ड्रेनेज, साफ सफाई की स्थिति, स्रोत के नजदीक प्रदूषण के बिन्दू (यथा शौचालय, कूड़े के ढेर इत्यादि) तथा समुदाय द्वारा इसके प्रयोग के तौर तरीके पर जानकारी सीधे अवलोकन एवं ग्राम वासियों के साक्षात्कार द्वारा प्राप्त की जायेगी। अवलोकन में पायी गयी स्थिति के अनुसार स्रोत में प्रदूषण के खतरे का आकलन करके स्रोत की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक कार्यो की क्रियान्वयन किया जायेगा।

इस शोध योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जल परीक्षण के कार्य योजना के परिणामों के अध्ययन के उपरान्त समस्त प्रदेश हेतु पेयजल आपूर्ति प्रणाली की संरक्षा हेतु रणनीति विकसित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जल परीक्षण "स्वच्छता सर्वेक्षण (सेनेट्री सर्वे)" के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। जल परीक्षण के परिणामों को अध्ययन हेतु यूनिसेफ को उपलब्ध करा दिया गया है।

6.2.10 आनलाइन डाटा इन्ट्री एव रिपोर्टिंग:-

राजीव गॉधी पेयजल मिशन के निर्देशानुसार त्वरित जल आपूर्ति के अन्तर्गत समस्त कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की आनॅलाइन डाटा इन्ट्री की जानी है। इकाई द्वारा प्रदेश स्तर पर इस कार्य का समन्वय किया जा रहा है। इकाई द्वारा इस कार्य हेतु जनपदीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका तथा आनलाइन इन्ट्री का कार्य प्रगति पर हैं।

<u>कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम का कार्य कलाप</u>

उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक ऐसी संस्था है, जो प्रदेशवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराती है, साथ ही नगरों की जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण कार्य भी कराती है। उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्य भार की कमी को देखते हुए "कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,उ0प्र0 जल निगम" नाम से एक विंग का सृजन निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल निगम की 90वीं बैठक दिनांक 10.03.89 के पद संख्या 90.06 में लिए गये निर्णय एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के कार्यकारी आदेश संख्या-415/पी-1/173 दिनांक 19.04.89 के द्वारा हुआ था। शासनादेश संख्या 2401/9-3-91-249 सी/91 दिनांक 06.06. 91 द्वारा इस विंग को राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है।

यह विंग एक निदेशक, जो कि उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी होते हैं, के अधीन कार्यो का सम्पादन करती है।विंग में दो मुख्य महाप्रबन्धक, जो कि

अधीक्षण अभियंता स्तर के होते हैं। 11 महाप्रबन्धक, जो कि अधिशासी अभिंयता स्तर के हैं। जिनमें से 6 लखनऊ में, दो गाजियाबाद में, 01 गोरखपुर में, 01 इलाहाबाद में तथा 01 कानपुर में तैनात हैं, जिनके अधीन 37 यूनिटें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एवं 05 यूनिटें प्रदेश के बाहर जिनमें से 02 उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में एवं 1-1 यूनिट गुजरात(अहमदाबाद), मुम्बई(महाराष्ट्र), जम्मू-कश्मीर(जम्मू) में कार्यरत हैं। इन यूनिटों के इंचार्ज परियोजना प्रबन्धक होते हैं, जो कि सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी हैं। इस विंग में लगभग 236 जूनियर इंजीनियर विभिन्न यूनिटों में कार्यरत हैं। प्रत्येक यूनिट को स्वावलम्बी होने के लिए यह आवश्यक है कि इसका टर्नओवर प्रतिवर्ष लगभग रू0 5.00 करोड़ रूपये हो अर्थात विंग के स्वावलम्बी होने के लिए इसका टर्नओवर लगभग रू0 210.00 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

वित्तीय एवं भौतिक स्थिति:-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज विंग की बैलेन्स सीट के अनुसार रू0 394.60 करोड़ का टर्नओवर किया गया है, जिससे रू0 30.56 करोड़ का सेन्टेज के रूप में एवं रू0 3.24 करोड़ अन्य विभिन्न मदों से कुल रू0 33.80 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष रू0 20.72 करोड़ का राजस्व व्यय के उपरान्त लगभग रू0 13.08 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया है।

वर्ष 2007-08 में रू0 346.96 करोड़ के टर्नओवर प्राप्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष (मासिक लेखा के अनुसार) माह-10/2007 तक रू0 198.86 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया गया जिससे रू0 18.88 करोड़ की सेन्टेज प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में कुल 552 परियोजनायें पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

विगत वर्षो की उपलब्धि निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	परियोजनाओं की संख्या				उपलब्ध धनराशि(रू0 करोड़ में)			
	अवशेष निर्माणाधीन	वर्ष में प्रारम्भ	पूर्ण की गई	अवशेष निर्माणाधीन	अवशेष धनराशि	वर्ष में प्राप्ति	कुल उपलब्ध	व्यय
प्रारम्भ से 3/2001 तक	-	-	2262	1648	-	-	-	814.27
2001-2002	1648	376	713	1311	56.10	276.59	332.69	233.26
2002-2003	1311	373	443	1241	99.43	256.49	355.92	247.07
2003-2004	1241	594	334	1501	108.85	276.08	384.93	332.62
2004-2005	1501	527	620	1408	52.31	244.21	296.52	226.03
2005-2006	1408	743	427	1724	70.49	328.62	399.11	259.63
2006-2007	1724	700	487	1937	139.48	436.49	575.97	394.60
2007-2008 10/2007	1937	105	317	1725	181.37	145.88	327.25	198.86